INFUSION NOTES

WHEN ONLY THE BEST WILL DO

MPPSC-PCS

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग

प्रारंभिक परीक्षा हेतु

भाग – 4

भारत और मध्यप्रदेश की अर्थव्यवस्था

<u>प्रस्तावना</u>

*प्रिय पाठकों, प्रस्तुत नोट्स "**MPPSC -PCS (Madhya Pradesh Public Service Commission) (प्रारंभिक परीक्षा हेतु)**" को एक विभिन्न अपने अपने विषयों में निपुण अध्यापकों एवं सहकर्मियों की टीम के द्वारा तैयार किया गया है / ये नोट्स पाठकों को **मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC)** द्वारा आयोजित करायी जाने वाली परीक्षा "**संयुक्त राज्य / अपर अधीनस्थ सेवा (PCS)**" भर्ती परीक्षा में पूर्ण संभव मदद करेंगें /*

अंततः सतर्क प्रयासों के बावजूद नोट्स में कुछ कमियों तथा त्रुटियों के रहने की संभावना हो सकती हैं / अतः आप सूचि पाठकों का सुझाव सादर आमंत्रित हैं/

प्रकाशकः

INFUSION NOTES

जयपुर, 302029 (RAJASTHAN)

मो : 9887809083

ईमेल : contact@infusionnotes.com

वेबसाइट : http://www.infusionnotes.com

WhatsApp करें - https://wa.link/yqtoiy

Online order करें - https://bit.ly/3AAJwpU

मूल्य : ₹	**संस्करण : नवीनतम**

भारत की अर्थव्यवस्था		
1.	अर्थव्यवस्था का परिचय • अर्थव्यवस्था के प्रकार • अर्थव्यवस्था के क्षेत्र	1
2.	राष्ट्रीय आय • शुद्ध घरेलू उत्पाद • राष्ट्रीय आय की माप • हरित राष्ट्रीय आय • राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग • भारत में राष्ट्रीय आय का वितरण	3
3.	आर्थिक नियोजन • भारत में पंचवर्षीय योजना • पंचवर्षीय योजनाओं का अवलोकन • योजना आयोग का इण्डिया विजन, 2020 • आर्थिक विकास में सरकार की भूमिका • नीति आयोग द्वारा विभिन्न कार्यक्रम	11
4.	सामाजिक क्षेत्र • गरीबी • बेरोजगारी एवं असमानता • स्वास्थ्य सेवा • नई शिक्षा नीति	19
5.	बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थाएं • भारत में बैंकिंग • रिज़र्व बैंक, वाणिज्यिक बैंक, • गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं • वित्तीय समावेशन	33
6.	राजकोषीय एवं मौद्रिक नीतियाँ	53
7.	सेबी • वित्तीय बाजार • शेयर बाजार	56

	• स्टॉक एक्सचेंज	
8	वस्तु एवं सेवा कर (GST) • GST के प्रकार एवं प्रभाव	62
9	कृषि एवं नवीन प्रवृत्तियां • प्रमुख फसलें एवं नवीन प्रवृत्तियां • हरित क्रांति एवं प्रभाव	66
10	उद्योग एवं नवीन प्रवृत्तियां • औद्योगिक नीति, 1948, 1956, 1991 • औद्योगिक वित्त • प्रमुख उद्योग • उदारीकरण, निजीकरण ,वैश्वीकरण	73
11	भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र • सेवा क्षेत्र	85
12	बजट • बजट के प्रकार • बजट निर्माण प्रक्रिया • बजट 2023-24	86
13	भारत की विदेशी व्यापार की नीतियाँ • G – 20 • सार्क • <u>SAFTA</u> • आसियान • विश्व व्यापार संगठन	97
	मध्यप्रदेश की अर्थव्यवस्था	
1	मध्य प्रदेश की जनसंख्या व मानवीय संसाधन • मध्य प्रदेश जनसंख्या नीति • शिक्षा, स्वस्थ्य, एवं कौशल • अर्थव्यवस्था पर जनसंख्या का प्रभाव	100

	• जनसंख्या वृद्धि के परिणाम	
2	मध्यप्रदेश अर्थव्यवस्था के नवीनतम बिंदु • भारतीय अर्थव्यवस्था में MP की वर्तमान स्थिति • सतत विकास लक्ष्यों में मध्यप्रदेश की प्रगति • आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश • एक जिला एक उत्पाद (ODOP) • मध्य प्रदेश में बौद्धिक सम्पदा अधिकारों की प्रगति	104
3	मध्य प्रदेश का आर्थिक विकास • राज्य का आर्थिक वर्गीकरण • कृषि, उद्योग • MSME एवं अधोसंरचना का विकास • अनुसूचित जातियाँ एवं जनजातियाँ • जनजातियों से सम्बंधित संवैधानिक प्रावधान • जनजातियों की भाषा, कलाएं, त्यौहार, उत्सव, बोली एवं साहित्य • प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व, प्रमुख संस्थान, संग्रहालय एवं प्रकाशन • मध्य प्रदेश की योजनाएँ एवं कल्याणकारी कार्यक्रम • जनजातियों के लिए कल्याणकारी योजनायें	112

अध्याय – 1

अर्थव्यवस्था का परिचय

परिचयः-

- Economics (अर्थशास्त्र) शब्द एक Greek word ' Oikonomia ' से उत्पन्न हुआ है ।
- Oikonomia शब्द Oikos and Nomos दो शब्दों से मिलकर बना है।
- Oikos का अर्थ गृह अथवा परिवार जबकि Nomos का का अर्थ है प्रबंधन । अर्थात् Oikonomia गृह प्रबंधन की प्रक्रिया के अध्ययन से संबंधित है ।

अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में अंतर?:-

अर्थशास्त्र	अर्थव्यवस्था
अर्थशास्त्र के अंतर्गत विषय और सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है	अर्थव्यवस्था के अंतर्गत व्यवहार का अध्ययन किया जाता है।
अर्थशास्त्र केवल अध्ययन का क्षेत्र है	अर्थव्यवस्था निष्पादन (Execution) की भूमिका निभाती है।
अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ को माना जाता है इनकी किताब (The Wealth of nations) मे अर्थव्यवस्था का विस्तार किया है।	जब हम किसी देश को उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित करते है तो उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं ।
अर्थशास्त्र की दो शाखाएँ हैं- (i) व्यष्टि अर्थशास्त्र (Micro economics) (ii) समष्टि अर्थशास्त्र (Macro economics)	अर्थव्यवस्था को तीन भागों में बांटा गया है पूँजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था।
	अर्थव्यवस्था किसी देश या क्षेत्र विशेष में अर्थशास्त्र के व्यावहारिक स्वरूप को प्रदर्शित करती है जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था चीनी अर्थव्यवस्था एवं अमेरिकी अर्थव्यवस्था इत्यादि ।

अर्थशास्त्र की शाखाएँ (Branches of economic)

- अर्थशास्त्र की दो शाखाएँ है, जो निम्नलिखित है-

(i) व्यष्टि अर्थशास्त्र (Micro economics)

(ii) समष्टि अर्थशास्त्र (Macro economics)

अर्थव्यवस्था के प्रकारः-

A. पूँजीवादी अर्थव्यवस्था (Capitalist Economy):-

- जिस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व पाया जाता है तथा वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन निजी लाभ के लिए किया जाता है उसे पूँजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं।
- अर्थात् यहाँ आर्थिक गतिविधियों पर सरकार का न्यूनतम नियंत्रण होता है तथा निजी क्षेत्र अधिक प्रभावकारी एवं स्वतंत्र होता है।
- एडम स्मिथ की 'दा वेल्थ ऑफ़ नेशन' पूँजीवाद को दार्शनिक आधार प्रदान करता है।
- अमेरिका समेत पश्चिमी यूरोपीय देश पूँजीवाद के समर्थक हैं।

B. समाजवाद अर्थव्यवस्था

- उत्पादन एवं वितरण के सामूहिक नियंत्रण पर बल देता है।
- राज्य द्वारा विनियमित निजी क्षेत्र की भूमिका से लोक कल्याण के उद्देश्य की प्राप्ति।
- भारत,बांग्लादेश,ब्राजील,समेत विकासशील अधिकांश देश समाजवाद के समर्थक हैं।
- बौद्ध और जैन धर्म का अस्तेय आवश्यकता से अधिक संसाधनों के एकत्रीकरण का विरोध करता है, जो समाजवाद की अवधारणा के अनुकूल है।
- अशोक के शिलालेखो से लोक कल्याणकारी राज्य के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है, वहीं रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख सुदर्शन झील के निर्माण के संदर्भ में प्रमाण देता है।
- इसी प्रकार मध्यकाल में फिरोजशाह तुगलक द्वारा नहरों का निर्माण, बेरोजगारों के लिए पेंशन जैसी समाजवादी योजनाओं की जानकारी प्राप्त होती है।

C. मिश्रित अर्थव्यवस्था (Mixed Economy) :-

- यहाँ, उत्पादन की कुछ योजनाएँ राज्य द्वारा सीधे या इसके राष्ट्रीयकृत उद्योगों के माध्यम से शुरू की जाती है, और कुछ को निजी उद्यम के लिए छोड़ दिया जाता है।
- इसका अर्थ है कि समाजवादी क्षेत्र (यानी सार्वजनिक क्षेत्र) और पूँजीवादी क्षेत्र (यानी निजी क्षेत्र) दोनों एक-दूसरे के साथ हैऔर एक-दूसरे के पूरक है।
- इसे बाजार की अर्थव्यवस्था और समाजवाद के बीच आधे घर के रूप में वर्णित किया जा सकता है।
- मिश्रित अर्थव्यवस्था में, सार्वजनिक और निजी दोनों संस्थान आर्थिक नियंत्रण का प्रयोग करते हैं। इसलिए, इस प्रकार कीअर्थव्यवस्था पूँजीवाद और समाजवाद दोनों के लाभों को सुरक्षित करने का प्रयास करती है।

अर्थव्यवस्था के क्षेत्रकः-

प्राथमिक क्षेत्र (Primary Sector):-

- अर्थव्यवस्था का यह क्षेत्र जहाँ प्राकृतिक संसाधनों को कच्चे तौर पर प्राप्त किया जाता है अर्थात् इसके अंतर्गत

अर्थव्यवस्था के प्राकृतिक क्षेत्रों का लेखांकन किया जाता है प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है।

- इसे कृषि एवं सम्बद्ध गतिविधियों से संबंधित क्षेत्र भी कहा जाता है।
- इसमें निम्न क्षेत्र शामिल हैं। जैसे- कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, मत्स्य पालन, वानिकी, खनन एवं उत्खनन

द्वितीयक क्षेत्र:-

- अर्थव्यवस्था का यह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त उत्पादों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल (Raw Material) की तरह उपभोग करता है द्वितीयक क्षेत्र कहलाता है।
- इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है।
- जैसे- निर्माण, भवन, विनिर्माण, कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएँ।

तृतीयक क्षेत्र (Tertiary Sector):-

- इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उत्पादन किया जाता है।
- इसलिए इस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है; जैसे - व्यापार, होटल, भण्डारण, बीमा, व्यापार।

परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य

- भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है जबकि मध्यप्रदेश राज्य की अर्थव्यवस्था कृषि-प्रधान अर्थव्यवस्था है।
- भारत एक विकासशील देश है।
- बंद अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आयात एवं निर्यात बिल्कुल संभव नहीं है ।
- खुली अर्थव्यवस्था के अंतर्गत बिना प्रतिबंध के वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार होता है ।
- पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन स्वतंत्र रूप से होता है ।
- व्यवसायिक बौद्धिक पूँजी के स्वामित्व को ट्रेड मार्क कहा जाता है।
- निर्माण एवं विनिर्माण वित्तीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं ।
- कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र,वानिकी मत्स्यन तथा खनन एवं उत्खनन प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं ।
- वर्ष 1776 में एडम स्मिथ द्वारा प्रकाशित पुस्तक 'द वेल्थ ऑफ नेशंस' थी ।
- बैंकिंग बीमा चिकित्सा शिक्षा पर्यटन आदि तृतीयक क्षेत्र से संबंधित हैं ।
- भारत में जनसंख्या की अधिकता के कारण यहाँ से आधिक्य की स्थिति रहती है ।

NOTE- अमेरिकी थिंक टैंक वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू ने 2019 की रिपोर्ट के अनुसार भारत अर्थव्यवस्था के मामले में ब्रिटेन और फ्रांस को पीछे छोड़ दुनिया में 5वें नंबर पर आ गया है। वर्ष 2018 में भारत 7वें नंबर पर था।

अभ्यास प्रश्न

1. व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ है।
(A) विशिष्ट आर्थिक इकाइयों का अध्ययन।
(B) संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन
(C) कुल राष्ट्रीय आय का अध्ययन
(D) इनमें से कोई नहीं। **(A)**

2. निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में सामाजिक हित एवं कल्याण को महत्व दिया जाता है?
(A) पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में
(B) समाजवादी अर्थव्यवस्था में
(C) मिश्रित अर्थव्यवस्था में
(D) अविकसित अर्थव्यवस्था में **(B)**

3. आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कौन थे?
(A) एडम स्मिथ
(B) जॉन रॉबिंसन
(C) अरस्तु
(D) प्लेटो **(A)**

4. अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र (Primary Sector of Indian Economy) में किसे शामिल नहीं किया जाता है?
(A) पशुपालन
(B) होटल
(C) खनन एवं उत्खनन
(D) वन एवं वानिकी **(B)**

5. बंद अर्थवयवस्था (Closed economy) वह अर्थवयवस्था है जिसमे -
(A) मुद्रास्फीति पूर्णतया नियंत्रित होती है
(B) घाटे की वित्त वयवस्था होती है
(C) केवल निर्यात होता है
(D) न तो निर्यात होता है , न आयत होता है **(D)**

6. निम्नलिखित में से असुमेलित की पहचान करे

पुस्तक	लेखक
(A) दास कैपिटल	कार्ल मार्क्स
(B) फ्री ट्रेड टुडे	पी. एन. भगवती
(C) प्लानिंग एण्ड द पुअर	बी. एस. मिन्हास
(D) एशियन ड्रामा	गुर्नार मिर्डाल

(B)

7. अल्पविकसित अर्थव्यवस्था की सामान्यतया विशेषता होती है-
(I) प्रति व्यक्ति निम्न आय
(II) पूँजी निर्माण की निम्न दर
(III) निम्न आश्रितता अनुपात
(IV) तृतीयक क्षेत्र में अधिक कार्यबल शक्ति का होना

अध्याय – 4

सामाजिक क्षेत्र

- **बेरोजगारी (Unemployment)**
- बेरोजगारी उस समय विद्यमान कही जाती है, जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोग रोजगार नहीं पाते है।
- या इसे इस तरह से भी समझा जा सकता है कि एक शारीरिक एवं मानसिक रूप से सक्षम व्यक्ति जो काम करने का इच्छुक है लेकिन उसे काम नहीं मिल पाता है।
- बेरोजगारी को समझने के लिए श्रम बल और कार्य बल के बीच अन्तर समझना अति आवश्यक है।
- **श्रम बल**- देश में 15 वर्ष की आयु लेकर 60 वर्ष की आयु तक के लोग श्रम बल के अंतर्गत आते है।
- **कार्य बल** - श्रम बल लोग जिनको कार्य/रोजगार मिल जाता है राष्ट्र का कार्य बल कहलाते है।
- अतः बेरोजगारी को निम्न रूप में भी समझा जा सकता है।
  बेरोजगारी = श्रमबल - कार्यबल
- जब किसी देश में पूर्ण श्रम बल को रोजगार प्राप्त हो जाए अर्थात पूर्ण श्रम बल, कार्य बल में बदल जाये तब देश में पूर्ण रोजगार होगा।
  पूर्ण रोजगार = श्रमबल = कार्यबल

बेरोजगारी का मापन (Measurement of Unemployment)

- बेरोजगारी को मापने के लिए वर्ष 1970 में भगवती समिति बनायी गयी थी। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर बेरोजगारी को मापने के लिए तीन तरीके बनाये गये।

दीर्घकालिक बेरोजगारी

- यदि किसी सर्वेक्षण वर्ष में किसी व्यक्ति को 183 दिन (8 घंटे प्रति दिन) रोजगार नहीं मिलता है तो वह व्यक्ति दीर्घकालिक बेरोजगारी के अंतर्गत आता है। वर्तमान में इस 183 दिन के मानक को बदल कर 273 दिन कर दिया गया है।

साप्ताहिक बेरोजगारी

- यदि किसी व्यक्ति को सप्ताह में 1 दिन (8 घंटे) का काम न मिले तो उसे साप्ताहिक बेरोजगारी के अंतर्गत रखा जाता है।

दैनिक बेरोजगारी

- यदि किसी को प्रति दिन आधे दिन (4 घंटे) का काम न मिले तो उसे दैनिक बेरोजगारी के अंतर्गत रखा जाता है।

भारत में बेरोजगारी (unemployment in India)

ग्रामीण बेरोजगारी (Rural Unemployment)	शहरी बेरोजगारी (Urban Unemployment)
1. अदृश्य बेरोजगारी (Disguised Unemployment) 2. मौसमी बेरोजगारी (Seasonal Unemployment)	1. औद्योगिक बेरोजगारी (industrial Unemployment) 2. शिक्षित बेरोजगारी (Educated Unemployment)

शहरी बेरोजगारी (Urban Unemployment)

- औद्योगिक बेरोजगारी (Industrial Unemployment): औद्योगिक बेरोजगारी में वे लोग शामिल होते हैं जो लोग तकनीकी एवं गैर तकनीकी रूप के अन्तर्गत कार्य करने की क्षमता तो रखते है परन्तु बेरोजगार है।
- देश में औद्योगिक बेरोजगारी में वृद्धि के कारणों में औद्योगीकरण की धीमी प्रक्रिया तथा अनुपयुक्त तकनीकी का प्रयोग शामिल है।

शिक्षित बेरोजगारी (Educated Unemployment):

पढ़े-लिखे लोगों द्वारा रोजगार न प्राप्त कर पाना शिक्षित बेरोजगारी कहलाती है। भारत में शिक्षित वर्ग में रोजगारी की समस्या अत्यधिक गंभीर है।

इसका मुख्य कारण है।

- देश में शिक्षण संस्थाओं जैसे- विश्वविद्यालय, कॉलेजों, स्कूलों आदि की संख्या में वृद्धि होने के कारण शिक्षित लोगों की संख्या में वृद्धि होना ।
- भारत में शिक्षा प्रणाली रोजगारपरक नहीं बल्कि उपाधिपरक है अर्थात् भारत में शिक्षा व्यवस्था दोषपूर्ण है।

ग्रामीण बेरोजगारी (Rural Unemployment)

प्रच्छन / अदृश्य बेरोजगारी (Disguised unemployment) :

जब किसी काम में जरूरत से ज्यादा व्यक्ति शामिल रहते हैं जबकि उतने लोगों की जरूरत नहीं होती है, तो यह स्थिति प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाती है।

- इसमें सीमांत उत्पादकता शून्य या ऋणात्मक होती है।
- यह जनसंख्या के अधिक दवाव और रोजगार के वैकल्पिक अवसरों की कमी के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में बनी रहती है।
- इसे पूंजी निर्माण, गैर-कृषि गतिविधियों के विकास के द्वारा किया जाता है इस बेरोजगारी का माप संभव नहीं है।

मौसमी बेरोजगारी (Seasonal Unemployment) :

एक वर्ष के किसी मौसम या कुछ महीनों के लिए किसी व्यक्ति को रोजगार मिलना तथा शेष महीनों या मौसम में कार्य नहीं मिलना मौसमी बेरोजगारी कहलाती है।

INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

बेरोजगारी के अन्य प्रकार (Other types of unemployment)

पूर्ण बेरोजगारी तथा अर्द्ध बेरोजगारी

- यदि किसी व्यक्ति के पास 35 कार्य दिवस से भी कम दिनों का रोजगार हो तो वार्षिक स्तर पर उसे पूर्ण बेरोजगार माना जाता है।
- यदि उसके कार्य दिवस 35 से ज्यादा एवं 135 दिनों से कम हो तो उसे अर्द्ध बेरोजगार माना जायेगा।
- 135 दिनों से अधिक के रोजगार की स्थिति में उसे पूर्ण रोजगार माना जाता है।

संरचनात्मक बेरोजगारी (Structured Unemployment)

- यह एक दीर्घकालीन समस्या है। यदि देश की उत्पादक संस्थाओं की संख्या में कमी, तकनीकी परिवर्तन आदि के कारण रोजगार के अवसर सीमित हो जाते हैं तो श्रमशक्ति का एक बड़ा वर्ग बेरोजगार हो जाता है। तो इस प्रकार की समस्या को संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। यह अल्पविकसित एवं विकासशील देशों में पायी जाती है।
- यह आपूर्ति पक्ष में कमी एवं विसंगति के कारण उत्पन्न होता है।
- आधारभूत संरचनाओं के विकास, बचत, निवेश, कौशल विकास आदि पर ध्यान केन्द्रित कर इसे दीर्घकाल में कम किया जा सकता है।

खुली बेरोजगारी (Open Unemployment)

खुली बेरोजगारी उस स्थिति को कहते हैं जिसमें यद्यपि श्रमिक काम करने के लिए उत्सुक हैं और उसमें काम करने की आवश्यक योग्यता भी है तथापि उसे काम प्राप्त नहीं होता। वह पूरा समय बेकार रहता है।

चक्रीय बेरोजगारी (Cyclic Unemployment)

- यह बेरोजगारी अल्पकालिक होती है। वैश्विक स्तर पर विकसित देशों में चक्रीय बेरोजगारी अधिक देखने को मिलती है। यह बेरोजगारी अर्थव्यवस्था में चक्रीय उतार-चढ़ावों के कारण उत्पन होती है।
- यह पूंजीवारी देशों में मांग की कमी के कारण उत्पन्न होती है।
- इसे मौद्रिक एवं राजकोषीय नीति द्वारा आसानी से पूरा किया जा सकता है

ऐच्छिक बेरोजगारी (voluntary unemployment)

जब लोग स्वयं अपनी इच्छा से कार्य नहीं करना चाहते हैं तो इस प्रकार की बेरोजगारी को ऐच्छिक बेरोजगारी करते हैं।

अनैच्छिक बेरोजगारी (Involuntary unemployment)

जब कोई व्यक्ति प्रचलित दर पर कार्य करने की इच्छा रखता हो किन्तु कार्य को उपलब्धता न हो तो उस स्थिति को अनैच्छिक बेरोजगारी कहा जाता है।

घर्षणात्मक बेरोजगारी (Frictional Unemployment)

बाजार में वस्तुओं की मांग एवं पूर्ति में परिवर्तन आने से घर्षणात्मक बेरोजगारी उत्पन्न होती है जैसे कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात् हुआ था। भारत में बेरोजगारी का अनुमान लगाने की विधि।

भारत में बेरोजगारी मापने की निम्नलिखित तीन विधियों का प्रयोग किया जाता है

1. सामान्य स्थिति बेरोजगारी (UPSS)
2. चालू साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी (cws)
3. चालू दैनिक स्थिति बेरोजगारी (CDS)

1. सामान्य स्थिति बेरोजगारी

इससे पूरे वर्षभर की स्थिति का पता लगाया जाता है। इसके लिए रोजगार के दिनों तथा बेरोजगारी के दिनों की आपस में तुलना की जाती है। यदि एक वर्ष में रोजगार के दिनों की संख्या बेरोजगारी के दिनों से अधिक पायी जाती है तो उस व्यक्ति को स्थिति रोजगार की मानी जाएगी। इसके विपरीत स्थिति को बेरोजगार माना जाएगा। खुली बेरोजगारी का पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है।

2. चालू साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी (Current Weekly Unemployment)

इस विधि के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति को संदर्भ सप्ताह में एक घंटे का भी रोजगार नहीं मिलता है तो उसे बेरोजगार माना जाता है।

3. चालू दैनिक स्थिति बेरोजगारी (Current Daily unemployment)

इसमें संदर्भ सप्ताह के स्थान पर प्रतिदिन की स्थिति को देख जाता है। यदि संबंधित व्यक्ति को संदर्भ सप्ताह में 1 घंटे से अधिक और चार घंटे से कम का रोजगार मिलता है, तो यह आधे दिन का तथा चार घण्टे अथवा अधिक का रोजगार मिलता है तो एक दिन का रोजगार माना जाता है। यह प्रक्रिया सप्ताह के सभी दिनों पर लागू की जाती है और बेरोजगारी के दिन निकाल लि जाते है। यह एक समय दर (Time Rate) है और तुलनात्मक रूप से श्रेष्ठ मानी जाती है।

- **भारत में बेरोजगारी के कारण**
- जनसंख्या में तीव्र वृद्धि
- दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली
- भारतीय कृषि का पिछड़ापन
- स्वरोजगार की इच्छा का अभाव
- बचत एवं निवेश का निम्न स्तर
- लघु एवं कुटीर उद्योग का ह्रास
- श्रमिकों में गतिशीलता का अभाव

क्यों बढ़ रही है बेरोजगारी ?

भारत ने स्वतंत्रता के बाद से 90 के दशक तक कृषि क्षेत्र पर ध्यान दिया ताकि देश की विशाल आबादी की खाद्य जरूरतों को पूरा किया जा सके। 1990 में उदारीकरण के

इसलिये ऐसा लगता है कि महामारी ने देश में रोज़गार भागीदारी में पहले से ही व्याप्त लैंगिक असंतुलन को बढ़ा दिया है।

भारत में महिला रोज़गार में कमी आई है, विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के परिणामस्वरूप स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों में।

- **गरीबी**

परिभाषा: -

- गरीबी को एक ऐसी परिस्थिति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसमे कोई व्यक्ति अथवा परिवार वित्तीय संसाधनों की अनुपलब्धता के कारण अपने जीवन निर्वाह के लिये बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ होता है।
- अर्थशास्त्रियों और नीति निर्माताओं द्वारा उपभोग पर होने वाले व्यय के 'गरीबी रेखा' (Poverty Line) से नीचे चले जाने की स्थिति को पूर्ण गरीबी के रूप में परिभाषित किया जाता है।
- समाजशास्त्री हेनरी बर्नस्टीन ने निर्धनता के चार आयाम बताए हैं-

(i) जीविका रणनीतियों का अभाव।

(ii) संसाधनों (जैसे-धन, भूमि आदि) की अनुपलब्धता।

(iii) असुरक्षा की भावना।

(iv) संसाधनों के अभाव के कारण सामाजिक संबंध रखने और विकसित करने की अक्षमता।

NOTE- खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) प्रथम महानिदेशक जॉन बॉयड ने पहली बार वर्ष 1995 में गरीबी रेखा का विचार प्रस्तुत किया । जॉन बॉयड ऑर के अनुसार- 2300 कैलोरी से कम का सेवन करने वाला व्यक्ति गरीब होता है ।

NOTE- विश्व बैंक के अनुसार में गरीबी रेखा 1.94 डॉलर प्रतिदिन निर्धारित किया है ।

गरीबी का मापन

सामान्यत गरीबी मापने की दो विधियाँ है- (i) सापेक्ष गरीबी (ii) निरपेक्ष गरीबी

(i) सापेक्ष गरीबी -

- सापेक्ष गरीबी यह स्पष्ट करती है कि विभिन्न आय वर्गों के मध्य कितनी असमानता है ।
- यह गुणात्मक अवधारणा है ।
- विकसित देशों में गरीबी मापन हेतु सापेक्ष गरीबी को ही आधार लिया जाता है ।
- इसके निर्धारण के लिए लोरेन्ज वक्र विधि तथा गिन्नी गुणाक का प्रयोग किया जाता है।

(ii) निरपेक्ष गरीबी –

- जब जीवन निर्वाह हेतु न्यूनतम उपभोग व्यय या न्यूनतम आवश्यक पोषण का एक मानक स्तर तय कर दिया जाता है तथा उस स्तर को गरीबी रेखा कहा जाता है ।
- भारत मे गरीबी का मापन इसी विधि से होता है।
- इसे Head Count Method भी कहते हैं ।
- यह मात्रात्मक अवधारणा है ।
- यह सर्वाधिक लोकप्रिय तथा सरल विधि है ।
- अल्पविकसित तथा विकासशील देशों में इसी विधि का उपयोग लिया जाता है ।
- इसमें गरीबी की गहनता तथा आय की असमानता का मापन नहीं किया जाता ।

लॉरेंज वक्र:

इसका प्रतिपादक वर्ष 1905 में लॉरेंज ने किया था। इस वक्र के माध्यम से आय तथा जनसंख्या के मध्य संबंध व्यक्त किया जाता है । इस वक्र की 45 डिग्री की रेखा को आदर्श रेखा कहते है । आदर्श रेखा आय की पूर्ण समानता को दर्शाती है ।

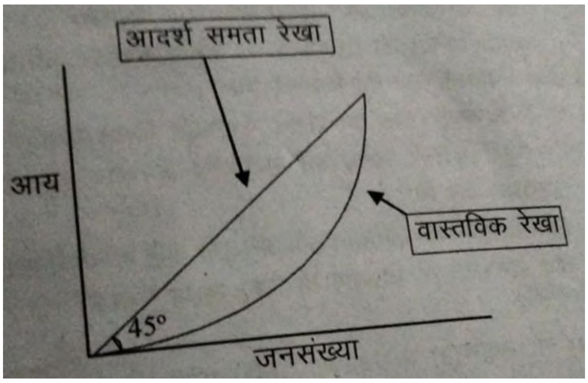

- **आदर्श समता रेखा** उदाहरण - 10% लोगों के पास 10% धन , 90% लोगों के पास 90% धन वास्तविक रेखा , आदर्श रेखा के जितनी निकट होती है आय की समानता उतनी ही अधिक होती है । वास्तविक रेखा , आदर्श रेखा के जितनी दूर होगी आय की असमानता उतनी ही अधिक होती है ।
- यदि आर्थिक संवृद्धि के साथ – साथ लॉरेंज वक्र कि ढाल ऊंची होती जाए तो ऐसी आर्थिक प्रगति को समावेशी आर्थिक समृद्धि कहते है।
- यदि आर्थिक संवृद्धि के साथ – साथ लॉरेंज वक्र कि ढाल काम होती जाए तो ऐसी आर्थिक परिवर्तन को गैर समावेशी आर्थिक संवृद्धि कहते है।

लॉरेंज सारणी:

(समय समय पर BPL रेखा का समायोजन करना चाहिए)

राष्ट्रीय आय मे / अंशभागिता आय वर्ग		**राष्ट्रीय आय मे अंशभागिता**	
		स्वतंत्र	**संचयी**
HIG 20%		46.1%	100.0%
M	UMIG 20%	19.2%	53.9%
I	MMIG 20%	15.0%	34.7%
G	LMIG 20%	11.6%	19.7%

LIG 20%	8.1%	8.1%

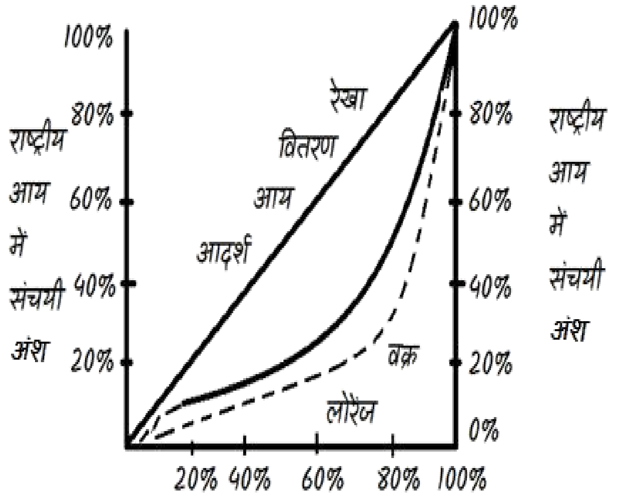

वर्ष 2000 -07 का आंकड़ा

(i) यदि पुराने रेखा के आपेक्ष नए लॉरेंज का वक्र नीचे हो गई है तो गरीबों का अंशदान और बंट गया है। अतः गरीबों मे वृद्धि हुई।

(ii) यदि लॉरेंज वक्र का अंतराल आदर्श आय वितरण रेखा से बढ़ता है तो विषमता बढ़ता है।

(iii) Bricks देशों में

I– आर्थिक विषमता काम है।

S– अधिक विषमता है।

- यदि आर्थिक संवृद्धि के साथ – साथ लॉरेंज वक्र कि ढाल ऊँची होती जाए तो ऐसी आर्थिक प्रगति को समावेशी आर्थिक समृद्धि कहते है।
- यदि आर्थिक संवृद्धि के साथ – साथ लॉरेंज वक्र कि ढाल काम होती जाए तो ऐसी आर्थिक परिवर्तन को गैर समावेशी आर्थिक संवृद्धि कहते है।
  भारत में 2006-07 से 2011-12 (11 वीं FYP) में गैर-आर्थिक समृद्धि दिखती है।
- More Rapid More inclusive and development Growth (12 FYP का शीर्षक)
- Inclusive Growth (11 FYP का शीर्षक)

गिनी गुणांक-

- इसका प्रतिपादन कोराडो गिनी ने वर्ष 1912 में किया ।
- यह लॉरेंज वक्र का गणितिय रूप है ।
- गिनी गुणांक का माप 0 से 1 के मध्य होता है
- 0- आय की पूर्ण समानता तथा 1- आय की पूर्ण असमानता को दर्शाता है ।

भारत में गरीबी का आकलन: -

भारत में गरीबी का आकलन निरपेक्ष विधि से किया जाता है । भारत की स्वतंत्रता के बाद से अब तक देश में गरीबी में रह रहे लोगों की संख्या के अनुमान के लिये 6 आधिकारिक समिति का गठन किया जा चुका है।

1. योजना आयोग कार्य समूह (वर्ष 1962)
2. वी एम दांडेकर और एन रथ (वर्ष 1971)
3. अलघ समिति (वर्ष 1977)
4. लकड़ावाला समिति (वर्ष 1989)
5. तेंदुलकर समिति (वर्ष 2005)
6. रंगराजन समिति (वर्ष 2012)

गरीबी का आंकलन: -

CEPA CES अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व के विषयों पर एक समान नीतिगत राय: - - सुरक्षा परिषद् का पुनर्गठन। - TC की व्यापारिक व्यवस्था में बढ़ते संरक्षणवाद पर रोक। - मौसम परिवर्तन के विषय पर।	आधुनिक भारत में गरीबी का पहला आंकलन दादाभाई नौरोजी द्वारा लिखित 'Poverty and Un-Britished' Rule पुस्तक में पेश किया गया। उन्होंने बताया कि उस समय भारतीयों की औसत वार्षिक आय 20 रु. थी। 80% से ज्यादा नागरिक गरीबी की दलदल में फसे थे। इस आंकलन को वैज्ञानिक स्वरूप नहीं माना जाता है। क्योंकि वस्तुनिष्ठ रूप पर आँकड़ों पर आधारित नहीं था, बल्कि अनुमान पर आधारित था। भारत में पहला वैज्ञानिक आंकलन 1971 में दांडेकर एवं रथ नामक दो विद्वानों ने प्रकाशित किया। उनके आंकलन के अनुसार लगभग 35% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे थी। अधिकारिक रूप से अर्थात् सरकारी विभाग द्वारा गरीबी का पहला आंकलन वर्ष 1973 - 1974 में तैयार किया गया। लगभग 55% नागरिक गरीब पाए गए। जिनकी संख्या लगभग 10 करोड़ थी। तब से प्रति 5 वर्ष पर गरीबी का आंकलन किया जाता है।

1. 1979-74 → 32 करोड़।
2. 1979-79 → गरीबी बढ़ गयी।
3. 1983-84 → गरीबी घटी।
4. 198-94 → बढ़ गयी। (32 करोड़)
5. 1999-2000 → भारी रूप से गिरावट। (26 करोड़)

- गरीबों की संख्या शहरों में भी गिरी।
- गाँव में भी गरीबी गिरी।

शुभारंभ किया और हमारे वैज्ञानिकों को इसका श्रेय देते हुए उन्हें धन्यवाद दिया। हम सभी वैज्ञानिकों की ताकत और कड़ी मेहनत के लिए शुक्रगुजार हैं।' उन्होंने कहा कि भारत के पास इस समय दो वैक्सीन उपलब्ध हैं और अपने देशवासियों को ही नहीं बल्कि 100 से अधिक देशों के लोगों को भी कोविड-19 से सुरक्षा प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा, 'शीघ्र ही हमारे देश को दो या इससे अधिक वैक्सीन और मिलने की संभावना है।'

2021-22 के बजट पूर्वानुमान में कोविड-19 वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव। वित्त मंत्री ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो और अधिक धन उपलब्ध कराने का वादा।

वित्त मंत्री अपने बजट भाषण के दौरान बताया कि इसके अलावा भारत में निर्मित निमोनिया संबंधी वैक्सीन अभी केवल पांच राज्यों तक सीमित है, लेकिन जल्द ही इसे पूरे देश में उपलब्ध कराई जाएगी। इससे हर वर्ष देश में 50,000 बच्चों की मौत को रोकने में मदद करेगा।

राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवायफरी आयोग विधेयक

वित्त मंत्री ने कहा कि संसद में स्वास्थ्य सेवा से सम्बद्ध कर्मियों के लिए राष्ट्रीय आयोग विधेयक प्रस्तुत किया जा चुका है। इससे 56 स्वास्थ्य सेवा से सम्बद्ध व्यवसायों में पादर्शिता और उचित नियामक सुनिश्चित किया जा सकेंगी। उन्होंने राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवायफरी आयोग विधेयक पारित कराने के लिए संसद में सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। इससे नर्सिंग व्यवसाय में पारदर्शिता और प्रशासनिक सुधार सुनिश्चित होंगे।

नई शिक्षा नीति, 2020

प्रिय छात्रों, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई जिसे सभी के परामर्श से तैयार किया गया है। 1986 की शिक्षा नीति में कमियाँ दूर करने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा निति को लाने की आवश्यकता पड़ी।

नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा के साथ ही मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। इस नीति द्वारा देश में स्कूल एवं उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधारों की अपेक्षा की गई है। इसके उद्देश्यों के तहत्त वर्ष 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% GER के साथ-साथ पूर्व-विद्यालय से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य रखा गया है।

महत्त्वपूर्ण तथ्य

- अंतिम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में बनाई गई थी, जिसमें वर्ष 1992 में संशोधन किया गया था।
- वर्तमान नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है।
- नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के तहत्त वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात (Gross Enrolments Ratio-GER) को 100% लाने का लक्ष्य रखा गया है।
- नई शिक्षा नीति के अंतर्गत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर जीडीपी के 6% हिस्से के सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया है।
- नई शिक्षा नीति की घोषणा के साथ ही मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय का नाम परिवर्तित कर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रमुख बिंदु

स्कूली शिक्षा संबंधी प्रावधान

- नई शिक्षा नीति में 5 + 3 + 3 + 4 डिज़ाइन वाले शैक्षणिक संरचना का प्रस्ताव किया गया है जो 3 से 18 वर्ष की आयु वाले बच्चों को शामिल करता है।
  - पाँच वर्ष की फाउंडेशनल स्टेज (Foundational Stage) - 3 साल का प्री-प्राइमरी स्कूल और ग्रेड 1, 2
  - तीन वर्ष का प्रीपेट्रेरी स्टेज (Prepatratory Stage)
  - तीन वर्ष का मध्य (या उच्च प्राथमिक) चरण - ग्रेड 6, 7, 8 और
  - 4 वर्ष का उच (या माध्यमिक) चरण - ग्रेड 9, 10, 11, 12
- NEP 2020 के तहत HHRO द्वारा 'बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन' (National Mission on Foundational Literacy and Numeracy) की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है। इसके द्वारा वर्ष 2025 तक कक्षा-3 स्तर तक के बच्चों के लिये आधारभूत कौशल सुनिश्चित किया जाएगा।

भाषायी विविधता का संरक्षण

- NEP-2020 में कक्षा-5 तक की शिक्षा में मातृभाषा/स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा को अध्ययन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है। साथ ही इस नीति में मातृभाषा को कक्षा-8 और आगे की शिक्षा के लिये प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है।
- स्कूली और उच्च शिक्षा में छात्रों के लिए संस्कृत और अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं का विकल्प उपलब्ध होगा परंतु किसी भी छात्र पर भाषा के चुनाव की कोई बाध्यता नहीं होगी।

शारीरिक शिक्षा

- विद्यालयों में सभी स्तरों पर छात्रों को बागवानी, नियमित रूप से खेल-कूद, योग, नृत्य, मार्शल आर्ट को स्थानीय उपलब्धता के अनुसार प्रदान करने की कोशिश की जाएगी ताकि बच्चे शारीरिक गतिविधियों एवं व्यायाम वगैरह में भाग ले सकें।

पाठ्यक्रम और मूल्यांकन संबंधी सुधार

- इस नीति में प्रस्तावित सुधारों के अनुसार, कला और विज्ञान, व्यावसायिक तथा शैक्षणिक विषयों एवं पाठ्यक्रम व पाठ्योतर गतिविधियों के बीच बहुत अधिक अंतर नहीं होगा।

INFUSION NOTES WHEN ONLY THE BEST WILL DO

- कक्षा-6 से ही शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल कर दिया जाएगा और इसमें इंटर्नशिप (Internship) की व्यवस्था भी की जाएगी।
- 'राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्' (National Council of Educational Research and Training- NCERT) द्वारा 'स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा' (National Curricular Framework for School Education) तैयार की जाएगी।
- छात्रों के समग्र विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कक्षा-10 और कक्षा-12 की परीक्षाओं में बदलाव किया जाएगा। इसमें भविष्य में समेस्टर या बहुविकल्पीय प्रश्न आदि जैसे सुधारों को शामिल किया जा सकता है।
- छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिये मानक-निर्धारिक निकाय के रूप में 'परख' (PARAKH) नामक एक नए 'राष्ट्रीय आंकलन केंद्र' (National Assessment Centre) की स्थापना की जाएगी।
- छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन तथा छात्रों को अपने भविष्य से जुड़े निर्णय लेने में सहायता प्रदान करने के लिये 'कृत्रिम बुद्धिमत्ता' (Artificial Intelligence- AI) आधारित सॉफ्टवेयर का प्रयोग।

शिक्षण व्यवस्था से संबंधित सुधार

- शिक्षकों की नियुक्ति में प्रभावी और पारदर्शी प्रक्रिया का पालन तथा समय-समय पर किये गए कार्य-प्रदर्शन आंकलन के आधार पर पदोन्नति।
- राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा वर्ष 2022 तक 'शिक्षकों के लिये राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक' (National Professional Standards for Teachers- NPST) का विकास किया जाएगा।
- राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा NCERT के परामर्श के आधार पर 'अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा' [National Curriculum Framework for Teacher Education-NCFTE) का विकास किया जाएगा।
- वर्ष 2030 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4-वर्षीय एकीकृत बी.एड. डिग्री का होना अनिवार्य किया जाएगा।

उच्च शिक्षा से संबंधित प्रावधान

- NEP-2020 के तहत् उच्च शिक्षण संस्थानों में 'सकल नामांकन अनुपात' (Gross Enrolment Ratio) को 26.3% (वर्ष 2018) से बढ़ाकर 50% तक करने का लक्ष्य रखा गया है, इसके साथ ही देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटों को जोड़ा जाएगा।
- NEP-2020 के तहत् स्नातक पाठ्यक्रम में मल्टीपल एंट्री एंड एग्ज़िट व्यवस्था को अपनाया गया है, इसके तहत 3 या 4 वर्ष के स्नातक कार्यक्रम में छात्र कई स्तरों पर पाठ्यक्रम को छोड़ सकेंगे और उन्हें उसी के अनुरूप डिग्री या प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा (1 वर्ष के बाद प्रमाण-पत्र, 2 वर्षों के बाद एडवांस डिप्लोमा, 3 वर्षों के बाद स्नातक की डिग्री तथा 4 वर्षों के बाद शोध के साथ स्नातक)।
- विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों से प्राप्त अंकों या क्रेडिट को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने के लिये एक 'एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट' (Academic Bank of Credit) दिया जाएगा, ताकि अलग-अलग संस्थानों में छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें डिग्री प्रदान की जा सके।
- नई शिक्षा नीति के तहत एम.फिल. (M.Phil) कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया।

भारतीय उच्च शिक्षा आयोग

नई शिक्षा नीति (NEP) में देश भर के उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए एक एकल नियामक अर्थात् भारतीय उच्च शिक्षा परिषद् (Higher Education Commision of India-HECI) की परिकल्पना की गई है जिसमें विभिन्न भूमिकाओं को पूरा करने हेतु कई कार्य क्षेत्र होंगे। भारतीय उच्च शिक्षा आयोग चिकित्सा एवं कानूनी शिक्षा को छोड़कर पूरे उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए एक एकल निकाय (Single Umbrella Body) के रूप में कार्य करेगा।

HECI के कार्यों के प्रभावी निष्पादन हेतु चार निकाय-

- **राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामकीय परिषद् (National Higher Education Regulatroy Council-NHERC)** : यह शिक्षक शिक्षा सहित उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए एक नियामक का कार्य करेगा।
- **सामान्य शिक्षा परिषद् (General Education Council - GEC)** : यह उच्च शिक्षा कार्यक्रमों के लिये अपेक्षित सीखने के परिणामों का ढाँचा तैयार करेगा अर्थात् उनके मानक निर्धारण का कार्य करेगा।
- **राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद् (National Accreditation Council - NAC)** : यह संस्थानों के प्रत्यायन का कार्य करेगा जो मुख्य रूप से बुनियादी मानदंडों, सार्वजनिक स्व-प्रकटीकरण, सुशासन और परिणामों पर आधारित होगा।
- **उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद् (Higher Education Grants Council - HGFC)** : यह निकाय कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों के लिये वित्तपोषण का कार्य करेगा।

नोट: वर्तमान में उच्च शिक्षा निकायों का विनियमन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (एआईसीटीई) और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एनसीटीई) जैसे निकायों के माध्यम से किया जाता है।

- देश में आईआईटी (IIT) और आईआईएम (IIM) के समकक्ष वैश्विक मानकों के 'बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय' (Multidisciplinary Education and Reserach Universities - MERU) की स्थापना की जाएगी।

विकलांग बच्चों हेतु प्रावधान

- इस नई नीति में विकलांग बच्चों के लिये क्रास विकलांगता प्रशिक्षण, संसाधन केंद्र, आवास, सहायक उपकरण, उपर्युक्त

- वर्ष 1930 में केन्द्रीय बैंकिंग जाँच समिति की सिफारिश के आधार पर भारत के केन्द्रीय बैंक के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (R.B.I.) की स्थापना RBI अधिनियम, 1934 के तहत् I अप्रैल , 1935 को 5 करोड़ रुपये की अधिकृत पूँजी से हुई थी।
- 1 जनवरी, 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया । इसके प्रथम गवर्नर सर ओसबोर्न स्मिथ (1935-37) थे ।
- देश के स्वतंत्रता के समय में RBI के गर्वनर सर सी डी . देशमुख (1943-49) थे ।
- रिजर्व बैंक के कार्यों का संचालन केन्द्रीय संचालक मण्डल (Central Borad of Directors) द्वारा होता है।
- सम्पूर्ण देश में इसे चार भागों में बाँटा गया है - उत्तरी क्षेत्र , दक्षिणी क्षेत्र , पूर्वी क्षेत्र तथा पश्चिमी क्षेत्र ।
- इसमें प्रत्येक के लिए 5 सदस्यों का एक स्थानीय बोर्ड (Local board) होता है ।
- केन्द्रीय बोर्ड में 1 गवर्नर तथा अधिक से अधिक 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं , जिनकी नियुक्ति केन्द्र सरकार पाँच वर्षों के लिए करती है ।
- वर्तमान में RBI के 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास (12 दिसम्बर, 2018 से लगातार)है।
- स्थानीय बोर्डों के कार्यालय नई दिल्ली , चेन्नई , कोलकाता और मुम्बई में है ।
- स्थानीय बोर्ड केन्द्रीय बोर्ड के आदेशानुसार कार्य करते हैं ।
- रिजर्व बैंक का प्रधान अथवा केन्द्रीय कार्यालय मुम्बई में स्थित है ।
- नई दिल्ली , कोलकाता तथा चेन्नई में स्थानीय प्रधान कार्यालय है

RBI के कार्य

<u>भारत में नए नोट जारी करने की व्यवस्था</u>

- एक रुपये के नोट का सभी सिक्कों को छोड़कर रिजर्व बैंक को विभिन्न मूल्य वर्ग के नोटों को जारी करने का एकाधिकारक प्राप्त है ।
- रिजर्व बैंक सरकार के प्रतिनिधि के रूप में एक रुपए के नोटों तथा सिक्कों एवं छोटे सिक्कों का देशे में वितरण का कार्य करता है ।
- करेन्सी नोट जारी करने के लिए वर्तमान में रिजर्व बैंक नोट प्रचालन की न्यूनतम निधि पद्धति (Minimum Reserve System) को अपनाता है । इस पद्धति के अंतर्गत रिजर्व बैंक के पास स्वर्ण एवं विदेशी ऋणपत्र कुल मिलाकर किसी भी समय 200 करोड़ रुपये के मूल्य से कम नहीं होने चाहिए। इनमें स्वर्ण का मूल्य (धातु तथा मुद्रा मिलाकर) 115 करोड़ रुपए से कम नहीं होना चाहिए। यह पद्धति रिजर्व बैंक ने 1957 के बाद अपनाई थी ।

> - **NOTE**-नए नोट छापने की एक अन्य व्यवस्था भी हैं परन्तु इसका प्रयोग भारत में नहीं होता यह व्यवस्था अनुपाती आरसी व्यवस्था है (Prahetional Resere system) इसके अन्तर्गत जिस अनुपात में नए नोट का मूल्य बढ़ता हैं उसी अनुपात में रखे गए कोष को बढाना पड़ता हैं
> - **NOTE** – 1000 रुपये के नोटों का परिचालन 8 नवम्बर, 2016 से बंद हो गया है।

NOTE- सिक्के सीमित विधि ग्राह्य (Limited Legal Tender) है। भारत में कागजी नोट असीमित विधि ग्राह्य (Unlimited Le gal Tender) है । इसका अर्थ यह है कि भुगतान का निपटारा करने के लिए सिक्कों का प्रयोग केवल एक सीमा तक ही किया जा सकता है । इसके विपरीत , कागजी नोटों के रूप में भुगतानों का निपटारा करने हेतु उनका प्रयोग असीमित मात्रा में किया जा सकता है ।

<u>सिक्कों का उत्पादन</u>

- सिक्कों का उत्पादन करने तथा सोने और चाँदी की परख करने एवं तमगों का उत्पादन करने के लिए भारत सरकार की पाँच टकसालें मुम्बई , अलीपुर (कोलकाता) , सैफाबाद (हैदराबाद) , चेर्लापिल्ली (हैराबाद) तथा नोएडा में स्थित है।
- टकसालों में सिक्कों के अलावा विभिन्न प्रकार के पदकों (मेडल) का भी उत्पादन किया जाता है ।
- **NOTE**- 25 पैसे तथा इससे कम मूल्य के सभी सिक्कों का परिचालन जुलाई, 2011 से बंद हो गया है । अर्थात देश में अब 50 पैसे का सिक्का सबसे कम मूल्य की विधिग्राह्य मुद्रा है ।

1. इण्डिया सिक्योरिटी प्रेस ,नासिक (महाराष्ट्र)-

- भारत प्रतिभूति में डाक सम्बन्धी लेखन सामग्री , डाक एवं डाक - भिन्न टिकटों , अदालती एवं गैर - अदालती स्टाम्पों , बैंकों (RBI तथा SBI) के चेकों , बॉण्डों , राष्ट्रीय बचत पत्रों आदि के अलावा राज्य सरकारों , सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों , वित्तीय निगमों आदि के प्रतिभूति पत्रों की छपाई की जाती है ।

2. सिक्योरिटी प्रिन्टिंग प्रेस , हैदराबाद

- सिक्योरिटी प्रिन्टिंग प्रेस हैदराबाद की स्थापना दक्षिण राज्यों की डाक लेखन सामग्री की मांगों को पूरा करने के लिए की गई तथा यहाँ पूरे देश की केन्द्रीय उत्पाद शुल्क स्टाम्प की छपाई भी होती है।

3. करेन्सी नोट प्रेस , नासिक (महाराष्ट्र)

- नोट प्रेस 1 , 2 , 5 , 10 , 50 , 100 , 500 तथा 2000 रुपये के बैंक नोट छापती है और उनकी पूर्ति करती है ।

4. बैंक नोट प्रेस , देवास (मध्य प्रदेश)

- देवास स्थित बैंक नोट प्रेस 20 , 50 , 100 , 500 और 2000 रुपये के उच्च मूल्य वर्ग के नोट छापती है ।
- बैंक नोट प्रेस का स्याही का कारखाना प्रतिभूति पत्रों की स्याही का निर्माण करता है ।

5. साल्वोनी (पं . बंगाल) तथा मैसूर (कर्नाटक) के भारतीय रिजर्व बैंक ने दो नयी एवं अत्याधुनिक करेन्सी

नोट प्रेस स्थापित की गयी है। यहाँ भारतीय रिज़र्व बैंक के नियन्त्रण में करेन्सी नोट छापे जाते हैं ।

6. **सिक्योरिटी पेपर मिल,होशंगाबाद (मध्य प्रदेश)**

बैंक और करेन्सी नोट कागज तथा गैर - ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर की छपाई में प्रयोग होने वाले कागज का उत्पादन करने के लिए सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद में 1967-68 में चालू की गई थी ।

सरकार के बैंकर का कार्य करना

➢ सरकारी बैंकर के रूप में यह निम्नलिखित कार्य सम्पन्न करता है-

(i) भारत सरकार तथा राज्य सरकारों की ओर से धन प्राप्त करना और इनके आदेशानुसार इनका भुगतान करना ।

(ii) भारत सरकार तथा राज्य सरकारों की ओर से जनता से ऋण प्राप्त करना ।

(iii) सरकारी कोषों का स्थानान्तरण करना ।

(iv) भारत सरकार एवं राज्य सरकारों के लिए विदेशी विनिमय का प्रबन्ध करना ।

(v) भारत सरकार एवं राज्य सरकारों को आर्थिक सलाह देना ।

रिज़र्व बैंक बैंकों का बैंक

➢ बैंकों के बैंक के रूप में यह निम्नलिखित कार्य करता है

(i) रिज़र्व बैंक व्यापरिक बैंकों का अंतिम ऋणदाता है।

(ii) रिज़र्व बैंक बैंकों की साख नीति का नियंत्रण रखता है ।

(iii) वर्ष 1949 के बैंकिंग नियमन अधिनियम के अंतर्गत रिज़र्व बैंक को व्यापक अधिकार प्राप्त हैं ; जैसे - अनुसूचित बैंक का निरीक्षण करना, नए बैंकों की स्थापना के लिए अनुज्ञा - पत्र प्रदान करना, आदि।

विदेशी विनिमय कोष का संरक्षण करना

➢ केन्द्रीय बैंक देश के विदेशी विनिमय कोष के संरक्षक के रूप में भी कार्य करता है । केन्द्रीय बैंक विदेशी मुद्राओं के कोष संचित रखता है जिससे अंतरराष्ट्रीय व्यापार के विकास तथा विनिमय दर की स्थिरता को बनाए रखा जा सके।

कृषि साख की व्यवस्था करना

➢ कृषि साख की व्यवस्था करने के लिए रिज़र्व बैंक ने एक कृषि साख विभाग की स्थापना की है । इस विभाग का मुख्य कार्य कृषि साख से सम्बन्धित समस्याओं के बारे में अनुसंधान करना है ।

समाशोधन - गृह का कार्य करना

➢ रिज़र्व बैंक देश का केन्द्रीय बैंक है । यह बैंकों को समाशोधन गृह (Clearing House) की सुविधा प्रदान करता है । यह कार्य करके रिज़र्व बैंक सदस्य बैंकों में रुपए के स्थानान्तरण को सुविधाजनक बनाता है

साख का नियंत्रण करना

➢ साख तथा मुद्रा पर नियंत्रण करने के लिए रिज़र्व बैंक देश में मुद्रा तथा साख की माँग व पूर्ति के मध्य संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है । देश में मौद्रिक स्थायित्व लाने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कार्य है ।

औद्योगिक वित्त की व्यवस्था में सहायता करना

➢ रिज़र्व बैंक ने ' औद्योगिक वित्त निगम ' तथा ' राज्य वित्त निगमों ' के बड़ी मात्रा में अंश खरीद रखे हैं । आवश्यकता पड़ने पर वह दीर्घकालीन व मध्यकालीन ऋण भी प्रदान करता है ।

आर्थिक व्यवस्था से सम्बन्धित समक एकत्रित करना

➢ रिज़र्व बैंक मुद्रा , साख , बैंकिंग , वित्त , कृषि एवं औद्योगिक उत्पादन आदि से सम्बन्धित आँकड़े एकत्रित करता है और उन्हें प्रकाशित करता है । ये आँकड़े देश की विभिन्न आर्थिक समस्याओं को समझने में सहायता देते है ।

भारत की वर्तमान करेन्सी व्यवस्था

➢ भारतीय करेन्सी व्यवस्था की इकाई रुपया है जिसमें कागजी करेन्सी और सिक्के दोनों प्रचलित हैं । सिक्के एवं एक रुपये का नोट (जिस पर वित्त सचिव , भारत सरकार के हस्ताक्षर होते हैं) भारत सरकार निर्गत करती है, जबकि 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500 तथा 2,000 रुपये के करेन्सी नोट भारतीय रिज़र्व बैंक निर्गत करता है।

साख नियंत्रण (Control of Credit)

➢ रिज़र्व बैंक साख के नियंत्रण एवं नियमन हेतु दो प्रकार के का प्रयोग करता है

(A) परिमाणात्मक या मात्रात्मक साख नियंत्रण

(B) गुणात्मक साख नियंत्रण

(A) परिमाणात्मक विधियाँ

इनके द्वारा एक अर्थव्यवस्था की कुल मुद्रा पूर्ति / साख को प्रभावित किया जा सकता है । इनके द्वारा साख के प्रवाह को न तो अर्थव्यवस्था के किसी खास क्षेत्र की ओर निर्देशित किया जाता है और न ही सीमित किया जाता है ये विधियाँ निम्न है-

बैंक दर (Bank Rate)	• भारतीय रिज़र्व बैंक जिस ब्याज दर पर व्यावसायिक बैंकों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराता है, बैंक दर कहलाता है । • **प्रभाव-** बैंक दर में परिवर्तन का प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से व्यावसायिक बैंकों द्वारा आवंटित ऋणों की ब्याज दर पर पड़ता है । इसके अन्तर्गत रिज़र्व बैंक के पास अनुसूचित बैंकों की कुल वैधानिक जमाराशि के एक निश्चित प्रतिशत के बराबर उनके मूल कोटे निर्धारित कर दिया गया । • निर्धारित कोटे की सीमा तक रिज़र्व बैंक से बैंक दर पर ऋण लिया जा सकता है । इससे अधिक ऋण देने पर बैंक दर के अतिरिक्त ब्याज की दंड दर (Penal rate) देनी पड़ती है।

	• बैंक दर में वृद्धि या कमी व्यावसायिक बैंक द्वारा आवंटित ऋणों पर ब्याद दर कम या ज्यादा करने के लिए होता है । • **NOTE :** बेस रेट वह दर है जिसके नीचे अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक किसी भी तरह का ऋण नहीं दे सकते हैं । यह वर्ष 2010 में पूर्व प्रचलित प्राइम लैंडिंग रेट नोट (PLR) के स्थान पर अपनाया गया है
नकद आरक्षण अनुपात (Cash Reserve Ratio)	• प्रत्येक व्यापारिक बैंक अपनी कुछ जमाओं का एक निर्धारित प्रतिशत रिजर्व बैंक के पास सदैव नकद रूप में रखता है जिसे नकद आरक्षण अनुपात (CRR) कहते हैं । • रिजर्व बैंक इस नकद पर कोई ब्याज बैंक को नहीं देता है । जब रिजर्व बैंक साख मुद्रा वृद्धि करना चाहता है , तो वह इस अनुपात में कमी कर देता है । और यदि वह साख मुद्रा में कमी करना चाहता है , तो वह इस अनुपात में वृद्धि कर देता है ।
वैधानिक तरलता अनुपात (Statutory Liquidity Ratio)	• प्रत्येक बैंक को कुल जमाराशि के एक निश्चित प्रतिशत को अपने पास नकद रूप में या अन्य तरल परिसम्पत्तियों के रूप में (सोना अनुमोदित प्रतिभूतियाँ- सरकारी प्रतिभूतियाँ) रखना पड़ता है जिसे वैधानिक तरलता (SLR) कहा जाता है । • यदि रिजर्व बैंक को साख मुद्रा का प्रसार करना होता है , तो इस अनुपात को कम कर दिया जाता है , ताकि बैंकों के पास तरल कोषों में वृद्धि हो सके । • यदि साख का संकुचन करना होता है , तो इस अनुपात को बढ़ा दिया जाता है , ताकि बैंकों के पास तरल कोष कम उपलब्ध हो ।
रेपो दर (Repo Rate)	• रेपो दर वह दर है जिस पर रिजर्व बैंक बैंकों को अल्पकालीन ऋण देकर अर्थव्यवस्था में तरलता की अतिरिक्त मात्रा जारी करता है । • इसका प्रभाव व्यावसायिक बैंकों द्वारा आवंटित ऋणों पर प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है । • इसका प्रयोग तात्कालिक मुद्रा के प्रसार में वृद्धि या कमी के लिए किया जाता है । • मंदी के दौरान रेपों दर में कटौती की जाती है ताकि मुद्रा के प्रसार में वृद्धि हो। ज्यों - ज्यों मंदी का दौर खत्म होता है, रेपो दर से वृद्धि की जाती है ताकि तात्कालिक मुद्रा का प्रसार कम हो ।
रिवर्स रेपो दर (Reverse Repo Rate)	• यह रेपो दर से उल्टी होती है । बैंकों के पास दिनभर के कामकाज के बाद बहुत बार एक बड़ी रकम शेष बच जाती है । बैंक वह रकम अपने पास रखने के बजाए रिजर्व बैंक में रख सकते हैं , जिस पर उन्हें रिजर्व बैंक से ब्याज भी मिलता है । जिस दर पर यह ब्याज मिलता उसे रिवर्स रेपो दर कहते हैं ।
मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी (MSF)	• इसके अंतर्गत व्यापारिक बैंक । दिन (24 घण्टे) हेतु ऋण प्राप्त कर सकते हैं । • MSF के माध्यम से बैंक अपनी NDTL के 2.5% तक ऋण प्राप्त कर सकते हैं। • इसमें SLR में रखी प्रतिभूतियों को भी गिरवी रख सकते हैं। • यह सुविधा मात्र वाणिज्यक बैंकों को उपलब्ध है । MSF की ब्याज दर Repo rate से 0.25 % अधिक होती है।

NOTE- खुले बाजार की क्रियाएँ (Open Market Operations)

- खुले बाजार की क्रियाओं से आशय केन्द्रीय बैंक द्वारा बाजार में प्रतिभूतियों, ऋण - पत्रों तथा बिलों के क्रय विक्रय से है। केंद्रीय बैंक द्वारा प्रतिभूतियों को बेचने से बाजार में मुद्रा की मात्रा कम हो जाती है , जिससे साख का सन्तुलन होता है और प्रतिभूतियों के खरीदे जाने से बाजार में मुद्रा की मात्रा बढ़ती है तथा साख का विस्तार हो जाता है ।
- तरलता की दृष्टि से प्रतिभूतियों एवं ऋणों का अनुक्रम है – नकद, एडहॉक ट्रेजरी बिल्स (इन्हें बंद किया जा चुका है), ट्रेजरी बिल्स तथा कॉल मनी

ऋणदर का सीमांत लागत (MCLR)

- यह अप्रैल, 2016 में प्रभावी हुआ ।
- यह फ्लोटिंग - रेट ऋणों के लिये एक बेंचमार्क ऋण दर है।
- यह न्यूनतम ब्याज दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक ग्राहकों को उधार दे सकते हैं ।
- यह दर चार घटकों- धन की सीमांत लागत, नकद आरक्षित अनुपात, परिचालन लागत और परिपक्वता अवधि पर आधारित है ।
- MCLR वास्तविक जमा दरों से जुड़ा हुआ है। इसलिए जब जमा दरों में वृद्धि होती है तो यह इंगित करता है कि बैंकों की ब्याज दर बढ़ने की संभावना है ।
- इसका उद्देश्य RBI द्वारा किए गए परिवर्तन का लाभ बैंकों द्वारा उपभोक्ताओं तक पहुँचाना है ।

(B) गुणात्मक विधियाँ

➢ इन विधियों द्वारा साख के प्रवाह को आर्थिक क्रिया के निर्दिष्ट या विशेष क्षेत्र की ओर मोड़ते या सीमित करते हैं।

- ➢ राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया के उपरान्त भारत में सभी बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के हो गए परन्तु सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की वित्तिय स्थिति निरन्तर कमजोर होती गई ।
- ➢ बैंकिंक क्षेत्र का लगभग काम थम सा गया एवम् प्रतिस्पर्धा तथा गुणवत्ता दोनों में कमी गई।
- ➢ अतः बैंकिक क्षेत्र में सुधार के उद्देश्य से RBI के पूर्व गवर्नर एम.नरसिंहम की अध्यक्षता में अगस्त, 1991में एक नौ सदस्य समिति का गठन किया गया था ।
- ➢ समिति ने अपनी रिपोर्ट 17 नवम्बर, 1991 को पेश की थी ।

नरसिंहम समिति के मुख्य सुझाव-

- बैंकों के राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया बन्द की जाए।
- सभी बैंकों की सभी शाखाओं का पूर्ण कम्प्यूटरीकरण किया जाए ।
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक एवम् नीजी क्षेत्र के बैंक को समान दर्जा दिया जाये एवम् दोनों में किसी भी प्रकार का भेद-भाव न किया जाए |
- कमजोर बैंकों का विलय स्वस्थ्य बैंकों में किया जाए|
- कुछ भारतीय बैंकों को जैसे SBI को विश्व स्तरीय रूप में उभारा जाए (इसी सुझाव के अन्तर्गत SBI के सहायक बैंकों का विलय SBI में किया जा रहा है
- जमा राशि पर बैंकों द्वारा दिए गए RBI स्वतंत्र कर दें ।
- लाभ चल रहीं सार्वजनिक बैंकों को शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने की अनुमति दी जाए |
- CRR एवम् SLR को कम किया जाए ताकी बैंकों के पास कारोबार ज्यादा शाही बच सकें (इसी सुझाव के अन्तर्गत RBI संशोधन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत CRR पर ने अधिकतम एवम् न्यूनतम सेवाएँ खत्म कर दी गई जबकि SLR पर न्यूनतम सीमा खत्म कर दी गई ।
- Asset Reconstruction companies (ARC) की स्थापना की जाये जो की बैंकों के गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियाँ (NPA-NonPerforming Asset) की वसूली करेंगे ।
- प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में दिए जाने वाले ऋण में सुधार किया जाए (Prinity Sectos, handliny) एवम् यह बैंकों पर छोड़ दिया जाए कि वह कितना ऋण किल क्षेत्र में प्रदान करना चाहते हैं ।

नरसिंहम समिति- II

- इस समिति का गठन 26 दिसम्बर, 1997 को किया गया तथा अपनी रिपोर्ट 22 अप्रैल, 1998 को केन्द्रीय वित्त मंत्री के सम्मुख पेश की ।
- समिति का उद्देश्य वित्तीय ढाँचे , संगठन , कार्यप्रणाली व कार्यविधियों से संबंधित सभी पहलुओं की जाँच की है ।
- इस समिति ने पूँजी खाते में रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता की सिफारिश की पर इसके पहले देश की वित्तीय व्यवस्था को मजबूत व स्थायी बनाने पर बल दिया , साथ ही बैंक की परिसम्पत्तियों की गुणवत्ता में सुधार गैर - निष्पक्षीय परिसम्पत्तियों में कमी , पूँजी (NPA) पर्याप्तता अनुपात में वृद्धि की अनुशंसा की है।
- बैंकों की खराब परिसम्पत्तियों के अधिग्रहण के लिए एसेट रिकन्सट्रक्शन फण्ड , भारतीय रिजर्व बैंक की नियामक व देख रेख सम्बन्धी क्रियाओं को पृथक करने हेतु बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन (Board for Financial Supervision , BFS) को स्वायत्तता प्रदान करने की भी सिफारिश की ।
- बैंकों को राजनीति से मुक्त करने , निर्देशक बोर्ड में पेशेवर व्यक्तियों के शामिल करने तथा बैंक के किसी भी कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही से पूर्व समुचित जाँच - पड़ताल करने की संस्तुति भी की हो ।

दामोदरन समिति

- इस समिति की स्थापना वर्ष 2011 में की गई जिसने अपनी रिपोर्ट अगस्त, 2011 में सरकार को सौंप दी ।
- सेबी (SEBI) के पूर्व अध्यक्ष एम. दामोदरन की अध्यक्षता में गठित समिति ने बैंकिंग सेवाओं में सुधार हेतु कई महत्त्वपूर्ण सिफारिशें की हैं ।
- इसके साथ जारी रिपोर्ट पर RBI द्वारा आम जनता की टिप्पणियाँ भी आमंत्रित की गई थी
- बैंकिंग सेवाओं के संदर्भ में समिति द्वारा ' न्यूनतम बैलेन्स ' की अवधारणा को समाप्त करने का सुझाव दिया गया है और आवश्यक सेवाओं को निःशुल्क बनाने की भी सिफारिशें की गई हैं ।
- होम लोन , निःशुल्क कॉल सेण्टर की स्थापना आदि के संदर्भ में भी समिति ने अपने विचार व्यक्त किए हैं ।

खण्डेलवाल समिति

- इस समिति का गठन बैंकों में मानव संसाधन में सुधार लाने के लिए किया गया ।
- इस समिति द्वारा निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं – बैंकों में मानव संसाधन प्रबंधन उनकी नियुक्ति, योजना, प्रशिक्षण, भविष्य योजना, निष्पादन प्रबंधन, पुरस्कार प्रबंधन, उत्तराधिकार योजना एवं नेतृत्व विकास, अभिप्रेरण, मानव संसाधन में व्यावसायिक दृष्टिकोण, वेतन, सेवा शर्तें तथा कल्याण ।

बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु गठित विभिन्न समितियाँ

नाम	गठन वर्ष	कार्य क्षेत्र
1991	गोइपोरिया समिति	ग्राहक सेवा में सुधार हेतु
1993	घोष समिति	बैंकों में धोखाधड़ी रोकने हेतु
1994	नायक समिति	लघु एवं मध्यम उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराने हेतु
1997	तारापोर समिति	विदेशी विनिमय में पूँजी खाता परिवर्तननीयता हेतु
1998	आरवी गुप्ता समिति	कृषि ऋण के क्षेत्र हेतु
1998	खान समिति	युनिवर्सल बैंकिंग के कोरम हेतु

अध्याय – 13

भारत की विदेशी व्यापार की नीतियाँ

G-20 (G-20)-

- बीस देशों के समूह अर्थात G-20 की स्थापना एक वैश्विक मंच के रूप में 1999 में की गयी थी। इस मंच के माध्यम से विश्व की प्रमुख विकसित और उभरती अर्थव्यवस्थाएँ, वैश्विक वित्तीय और आर्थिक मामलों पर चर्चा करती हैं।
- G-20 में विश्व की बड़ी, विकसित और उभरती अर्थव्यवस्थाएं सम्मिलित हैं। इसके सभी सदस्य मिलकर विश्व की लगभग दो तिहाई जनसंख्या, विश्व के 85 प्रतिशत सकल घरेलू उत्पाद और वैश्विक व्यापार के 80 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- G-20 के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:
  - वैश्विक आर्थिक स्थिरता एवं सतत विकास प्राप्त करने के उद्देश्य से इसके सदस्यों के बीच नीतिगत समन्वय करना।
  - ऐसे वित्तीय विनियमों को बढ़ावा देना, जिससे जोखिम में कमी आये और भविष्य में आर्थिक संकटों से बचा जा सके।
  - एक नई अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रूपरेखा का सृजन करना।
- जी-20 में अर्जेन्टीना, आस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इण्डोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका सम्मिलित हैं।
- अपनी स्थापना के पश्चात् से ही, इसके द्वारा वित्त मंत्रियों और केन्द्रीय बैंकों के गवर्नरों की वार्षिक बैठकों का निरंतर आयोजन किया गया है और हाल ही में सदस्य देशों के प्रमुखों का शिखर सम्मेलन भी आयोजित किया गया।
- वर्ष 2008 के वैश्विक वित्तीय एवं आर्थिक संकट का समाधान करने के उद्देश्य से 2008 में जी-20 को शिखर सम्मेलन स्तर तक उन्नत किया गया।
- G-20 के सदस्यों का शिखर सम्मेलन 2008 में वाशिंगटन में और 2009 में लंदन तथा पिट्सबर्ग में आयोजित किया गया। 2017 में शिखर सम्मलेन का आयोजन जर्मनी के हैम्बर्ग में किया गया।
- 2018 में G – 20 शिखर सम्मलेन 'ब्युनस आयर्स' (अर्जेन्टीना) में आयोजित किया गया।
- 2019 में 'ओसाका' (जापान) में।
- 2020 में 'रियाद' (सऊदी अरब)
- 2021 में रोम (इटली)
- 2022 में इंडोनेशिया के 'बाली' G – 20 के वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का विषय Recover together, Recover Stronger' था।
- अब भारत ने G-20 की अध्यक्षता का प्रभार संभाल लिया है और 18 वां G – 20 शिखर सम्मेलन 2023 में भारत में आयोजित होगा।
- **G – 20 के 17 वें शिखर सम्मेलन 'बाली' (इंडोनेशिया) में हाल ही में आयोजित हुआ। इसके कुछ प्रमुख बिन्दु निम्न है –**

  (i) इस सम्मेलन में रूस द्वारा यूक्रेन पर किये गए आक्रमण की निंदा की गई।

  (ii) वैश्विक अर्थव्यवस्था के सतत् विकास पर बल दिया गया।

  (iii) खाद्य सुरक्षा संबंधी चुनौतियों से निपटने हेतु चर्चा।

  (iv) नेताओं ने सतत् विकास लक्ष्यों तक पहुँचने में डिजिटल परिवर्तन के महत्त्व को पहचाना।

  (vi) नेताओं ने स्वस्थ और स्थायी रिकवरी को बढ़ावा देने के लिए अपनी निरंतर प्रतिबद्धता व्यक्त की।

- G-20 की अध्यक्षता एक प्रणाली के तहत प्रति वर्ष बदलती है। अनौपचारिक राजनीतिक मंच की अपनी प्रकृति को दर्शाते हुए G-20 का कोई स्थायी सचिवालय नहीं है। इसके स्थान पर, अन्य सदस्यों के साथ G-20 एजेंडा पर परामर्श और वैश्विक अर्थव्यवस्था में हुए विकास पर प्रतिक्रिया के लिए उन्हें एक साथ लाने की जिम्मेदारी G-20 के अध्यक्ष की होती है।

  निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए अध्यक्षता, वर्तमान, तत्काल अतीत और भविष्य के मेजबान देशों से बनी "ट्राइका (troika)" द्वारा समर्थित होती है। वर्तमान ट्राइका (Troika) में इटली, इंडोनेशिया तथा भारत सम्मिलित है।
- भारत ने वर्ष 2002 में G-20 वित्त मंत्रियों एवं केन्द्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक की मेजबानी की थी।
- जी-20 की प्रारंभिक प्रक्रिया का संचालन सुस्थापित शेरपा एवं फाइनेंस ट्रैकों के जरिए किया जाता है जो शिखर सम्मेलनों में अंगीकृत विषयों एवं प्रतिबद्धताओं को तैयार करते हैं एवं उनके संबंध में अनुवर्ती कार्यवाही भी करते हैं।
- शेरपा ट्रैक या डेवलपमेंट ट्रैक, भ्रष्टाचार रोधी एवं खाद्य सुरक्षा जैसे गैर-आर्थिक एवं गैर-वित्तीय मुद्दों पर विशेष बल देता है। जबकि यह जी-20 प्रक्रियात्मक नियमावली जैसे आन्तरिक पहलुओं का भी समाधान करता है, शेरपा निरंतर रूप से महत्वपूर्ण योजनाओं, वार्ताओं और कार्यान्वियन योग्य कार्यों को संपन्न करते हैं।
- फाइनेंस ट्रैक आर्थिक एवं वित्तीय मुद्दों पर विशेष बल देता है, शेरपा एवं फाइनेंस ट्रैक दोनों ही " कई विशेषज्ञ कार्यदलों द्वारा संपादित तकनीकी एवं ठोस कार्यों पर आधारित होते हैं।
- वित्तीय ट्रैक – इसमें केन्द्रीय बैंक के गर्वनर और वित्तमंत्री भाग लेते है तथा आर्थिक मुद्दों पर चर्चा की जाती है।
- शेरपा ट्रैक – प्रत्येक देश के द्वारा एक शेरपा की नियुक्ति की जाती है। जो G – 20 की बैठकों में उस देश का प्रतिनिधित्व करता है।
- भारत की ओर से पीयूष गोयल (सितंबर 2021 को शेरपा नियुक्त किया गया। हाल ही में 2023 में G – 20 के होने वाले 18वें शिखर सम्मेलन हेतु 'अमिताभ कान्त' को शेरपा नियुक्त किया गया है।

अध्याय – 1

मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था

मध्य प्रदेश की जनसंख्या व मानवीय संसाधन

जनगणना :-

- एक निश्चित समयांतराल में जनसंख्या की अधिकारिक गणना जनगणना कहलाती है|
- प्राचीन काल में भारत में जनगणना करने के साक्ष्यचाणक्य के 'अर्थशास्त्र' पुस्तक में उल्लेखित है|
- भारत में आधुनिक प्रणाली के रूप में पहली बार जनगणना कार्य लार्ड मियो के शासन काल में 1872 में किया गया ।
- भारत में विधिवत रूप से जनगणना कार्य रिपन के कार्यकाल में 1881 में किया गया जो वर्तमान समय में प्रति 10 वर्ष में किया जाता है ।
- अब तक मध्य प्रदेश के गठन (1956) के बाद से मध्य प्रदेश में 6 बार गणना हो चुकी है ।
- 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है ।
- 11 मई को मध्य प्रदेश में 'जनगणना नियंत्रण दिवस' मनाया जाता है ।
- जनगणना वर्ष 2011 में सी. चंद्रमौली (भारत जनगणना आयुक्त) के नेतृत्व में संपन्न हुई|
- जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का भारत में 5 वाँ स्थान रखता है ।

मध्य प्रदेश में जनसंख्या :-

- 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भारत में जनसंख्या की दृष्टि से 6 वाँ स्थान रखता है (उत्तर प्रदेश , महाराष्ट्र , बिहार , प. बंगाल , आंध्र प्रदेश , मध्य प्रदेश) तथा वर्तमान में 5 वाँ स्थान रखता है ।
- मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या 7,26,26, 809 है जो कि देश की कुल जनसंख्या का 6% है ।
- मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में पुरुष 51.70 % तथा महिला 48. 30% है ।
- मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले क्रमशः इंदौर , जबलपुर , सागर , भोपाल तथा रीवा है ।
- मध्य प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले क्रमशः निवाडी, आगर मालवा , हरदा तथा उमारिया है ।

मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल :-

- मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किमी है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 9.38 % है ।
- मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भारत के क्षेत्रफल में दूसरा स्थान रखता है ।

सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले -

छिंदवाडा
शिवपुरी
सागर

न्यूनतम क्षेत्रफल वाले जिले -

निवाडी
दतिया
भोपाल

लिंगानुपात :-

- लिंगानुपात से तात्पर्य किसी क्षेत्र विशेष में प्रति 1000 पुरुषो के मुकाबले स्त्रियों की संख्या 931 है|
- मध्य प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों का अनुपात 936 तथा नगरीय क्षेत्र का 918 है ।

सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले –

1. बालाघाट – 1021
2. अलीराजपुर – 1011
3. मंडला – 1008
4. डिंडौरी – 1002
5. झाबुआ

न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले –

1. भिंड – 837
2. मुरैना – 840
3. ग्वालियर – 864
4. दतिया
5. शिवपुरी

- मध्य प्रदेश में 4 जिलों में लिंगानुपात 1000 से ऊपर है ये जिले क्रमशः बालाघाट , अलीराजपुर , मंडला एवं डिंडोरी है|
- रीवा का लिंगानुपात मध्य प्रदेश के लिंगानुपात के बराबर है|

- **शिशु लिंगानुपात (0-6 वर्ष):-**
- कुल जनसंख्या में शिशु जनसंख्या 14.5 % है ।
- मध्य प्रदेश का शिशु लिंगानुपात 918 है ।

सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले जिले –

1. अलीराजपुर – 978
2. डिंडोरी \मंडला
3. बालाघाट

न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले जिले –

1. मुरैना – 829
2. ग्वालियर
3. भिंड

जनसंख्या घनत्व :-

- प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या जनघनत्व कहलाती है ।
- जनसंख्या घनत्व = $\frac{\text{जनसंख्या}}{\text{क्षेत्रफल}}$
- मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है ।

सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले –

1. भोपाल – 855
2. इंदौर – 841

ऊर्जा :- राज्य में 28,000 मेगावाट (नवकरणीय ऊर्जा सहित) की स्थापित क्षमता के साथ बिजली का अधिशेष (surplus) है। मध्यप्रदेश संपूर्ण नवकरणीय ऊर्जा आपूर्ति के मामले में आठवें स्थान पर आता है। सौर ऊर्जा क्षमता के मामले में मध्यप्रदेश राजस्थान, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र के बाद चौथे स्थान पर है। बायोमास से बिजली उत्पादन में प्रदेश का स्थान दूसरा है लघुपन बिजली उत्पादन में चौथा स्थान तथा पवन ऊर्जा उत्पादन में आठवां स्थान है।

स्वास्थ्य एवं शिक्षा :- स्वास्थ्य सेवा संचालनालय की रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में मध्यप्रदेश में कुल 10,111 उप-स्वास्थ्य केंद्र, 1415 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 353 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 135 सिविल अस्पताल और 52 जिला अस्पताल मध्यप्रदेश की जनसंख्या को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। मध्यप्रदेश में लगभग 160 लाख बच्चे 1,25,582 स्कूलों में नामांकित हैं। जिनमें 62413 प्राथमिक, 45106 उच्च प्राथमिक, 8306 माध्यमिक और 9757 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के शामिल हैं। राज्य में कुल 9258 शासकीय उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हैं। राज्य में कुल 38.46 लाख छात्र उच्च और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर नामांकित हैं।

बैंक :-

- राज्य में 34 शेड्यूल वाणिज्यिक बैंक, 2 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक,1 राज्य सहकारी बैंक, 38 जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (DCCBs), 8 लघु वित्त बैंक और 3 भुगतान बैंक (इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, एयरटेल, FINO) का बैंकि ग नेटवर्क है।
- राज्य में कार्यरत बैंकिंग सेवाएं 8,138 शाखाओं के नेटवर्क के माध्यम से कवर की गई हैं, जिनमें से 34% ग्रामीण क्षेत्रों में और 66% अर्ध-शहरी और शहरी क्षेत्रों में कार्यरत हैं।
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (PSB) 50% बैंकिंग नेटवर्क का गठन करते हैं, इसके बाद निजी क्षेत्र के बैंक (17%), RRB (16%), सहकारी बैंक (11%), और SFB (5%) हैं (SLBC रिपोर्ट, 2021 और 2022)।
- मध्यप्रदेश में बैंक शाखाओं की कुल संख्या सितंबर 2022 में बढ़कर 8138 हो गई। वाणिज्यिक बैंकों की कुल शाखाएं सितंबर 2022 में 5510 थीं।
- सहकारी बैंक शाखाएं 877 (मार्च 2020) से घटकर 851 (सितंबर 2022) हो गई है।

एक जिला एक उत्पाद (ODOP)

- दोस्तों, इस पहल का उद्देश्य सभी क्षेत्रों में समग्र सामाजिक आर्थिक विकास को सक्षम करने के लिए देश के प्रत्येक जिले (एक जिला – एक उत्पाद) से कम से कम एक उत्पाद का चयन, ब्रांड तथा प्रचार को सम्मिलित किया गया है।

ओडीओपी पहल ने देश भर के 761 जिलों से कुल 1102 उत्पादों को पहचाना है।

- इस योजना को जनवरी 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था और इसकी सफलता के कारण बाद में इसे केंद्र सरकार के द्वारा इसको अपनाया गया।
- 'एक जिला, एक उत्पाद (ODOP)' को बाद में 2018 में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा चलाया गया, जिससे की राज्य के जिलों को उनकी पूरी क्षमता तक पहुंचने, आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देने में सहायता मिल सके।

ODOP योजना के उद्देश्य :-

- इस कार्यक्रम का प्राथमिक लक्ष्य इनपुट, मार्केटिंग सामान और सामान्य सेवाओं तक पहुँचने के लाभों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना है। एक जिला एक उत्पाद योजना मूल्य श्रृंखला विकसित करने और उन्हें समर्थन देने के लिए बुनियादी ढांचे को संरेखित करने का आधार प्रदान करती है।
- इसको इसलिए कार्यान्वित किया गया है क्योंकि वाणिज्य विभाग कृषि निर्यात नीति में निर्यात में सहायता के लिए क्लस्टर (झुण्ड) मॉडल के आधार पर खेती की जाने वाली फसलों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। कृषि मंत्रालय के अंतर्गत लाभ के साथ विशिष्ट कृषि उत्पादों को विकसित करने के लिए एक क्लस्टर मॉडल भी विचाराधीन है। ODOP रणनीति के परिणामस्वरूप सामान्य सुविधाएं और अन्य सहायता सेवाएं प्रदान करने में कम परेशानी हो सकती है।
- वस्तुओं की शिपिंग में आने वाली बाधाओं को दूर करना भी इसका एक उद्देश्य है।
- उत्पादन बढ़ाने में स्थानीय निर्यातकों/विनिर्माताओं को सहायता प्रदान करना।
- निर्यात को प्रोत्साहन प्रदान करने की आशा में भारत के बाहर संभावित खरीदारों को पहचानना।
- जिले में सेवा और विनिर्माण उद्योगों को प्रोत्साहन देना और जिले में रोजगार को सृजित करना।
- अर्थव्यवस्था की वृद्धि, रोजगार और ग्रामीण उद्यमिता में वृद्धि। (आत्मनिर्भर भारत का उद्देश्य)
- सभी क्षेत्रों को समग्र सामाजिक-आर्थिक विस्तार से लाभ उठाने में सक्षम होना चाहिए।
- निवेशकों को आकर्षित कर जिले के भीतर निर्यात और विनिर्माण में वृद्धि करना भी इसके लक्ष्यों में से एक है।
- एक ऐसे पर्यावास का निर्माण करना जो अंतरराष्ट्रीय और घरेलू बाजारों के साथ प्रतिस्पर्धी होने के लिए जिले में नवाचार और प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग को प्रोत्साहित करे।

ODOP योजना के लाभ :-

- कला के प्रचार और संरक्षण में स्थानीय कौशल और शिल्प विकसित हुआ है तथा इसको संरक्षण मिला है।
- आय और स्थानीय नौकरी के अवसरों में भी बढ़ोतरी देखी गई है। (जिसके परिणामस्वरूप काम खोजने के लिए प्रवासन में कमी को दर्ज किया गया है)।

उत्पादों की गुणवत्ता और कौशल विकास में सुधार आया है।

- उत्पादों को कला में बदलना (पैकेजिंग या ब्रांडिंग के माध्यम से)।
- उत्पादन का पर्यटन से जुड़ाव।
- क्षेत्रीय असंतुलन और आर्थिक विषमता के मुद्दों का हल निकालना।
- राज्य स्तर पर कार्यान्वयन की सफलता के पश्चात् ODOP के विचार का राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार करना।
- कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण, बर्बादी कम करने के प्रयासों और भंडारण/विपणन के लिए सहायता प्रदान की जायेगी।
- वाणिज्य विभाग कृषि निर्यात नीति में निर्यात का समर्थन करने के लिए क्लस्टरिंग के दृष्टिकोण का उपयोग करके फसलों पर ध्यान केंद्रित करता है।
- कृषि मंत्रालय भी कृषि फसलों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश बनाने के लिए एक जिला एक उत्पाद योजना प्रदेश शासन द्वारा प्रारंभ की गई है :-

1. एक जिला एक उत्पाद योजना से देश के प्रमुख कृषि उत्पाद के द्वारा जिले को एक नयी पहचान मिलेगी।
2. मध्यप्रदेश आत्मनिर्भर कृषि के अंतर्गत इन उत्पादों की गुणवत्ता, सुधार सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, पैकिंग आदि का वैल्यू एडिशन किया जायेगा।
3. विदेशों में भी प्रदेश के कृषि उत्पादों की मांग बढ़ाने के लिए किए विशेष प्रयास किये जायेंगे।
4. एक जिला एक उत्पाद योजना से प्रत्येक जिले में रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होगी।

एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने जिले के लघु, मध्यम और पारंपरिक उद्योगों को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिये एक पहल की घोषणा की गई। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री ने ODOP योजना के हिस्से के रूप में छह विशेष कवरों को कवर करके क्षेत्र में रहने वाले लोगों को रोजगार देने का विकल्प चुना।

सीहोर जिले के बुधनी क्षेत्र के प्रसिद्ध लकड़ी के खिलौने। यह उत्पाद बैतूल जिले के सागौन की लकड़ी से हरदा के बांस से बनाया गया है।

मध्यप्रदेश के जिलों के लिए चुने गये उत्पाद :-

SL	जिला का नाम	उत्पाद का नाम
1	अनूपपुर	कोदो कुटकी
2	अशोकनगर	चंदेरी हैंडलूम
3	आगर मालवा	संतरा
4	आलीराजपुर	महूआ
5	इन्दौर	आलू
6	उज्जैन	बाटिक प्रिंट
7	उमरिया	महूआ
8	कटनी	कटनी स्टोन
9	खण्डवा	प्याज
10	खरगौन	मिर्च
11	गुना	धनिया
12	ग्वालियर	सॉंड स्टोन टाइल्स
13	छतरपुर	लकड़ी का फर्नीचर
14	छिंदवाड़ा	संतरा
15	जबलपुर	मटर
16	झाबुआ	कड़क नाथ
17	टीकमगढ़	अदरक
18	डिंडोरी	कोदो कुटकी
19	दतिया	गुड़
20	दमोह	चना
21	देवास	बास
22	धार	बाग प्रिंट
23	नरसिंहपुर	तुअर डाल
24	निवाड़ी	अदरक
25	नीमच	धनिया
26	पन्ना	आंवला
27	बड़वानी	अदरक
28	बालाघाट	चिंन्नौर चावल
29	बुरहानपुर	केला
30	बैतूल	सागौन की लकड़ी
31	भिण्ड	सरसो
32	भोपाल	जरदोजी पर्स, जुट
33	मंडला	कोदी कुटकी

3.कोल जनजाति :-

- कोल जनजाति भारत की आदिम जनजातियों में गिनी जाती है | यह आस्ट्रिक परिवार समूह से सम्बन्धित है |
- इसका मूलस्थान रीवा जिले का कुराली क्षेत्र है कोल जनजाति का उल्लेख ऋग्वेद , मत्स्यपुराण तथा महाभारत आदि ग्रंथो में मिलता है |
- मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है |
- कोल लोग रीवा , सीधी , शहडोल सतना तथा जबलपुर में निवास करते हैं |

कोल की उपजातियाँ – मुंडारी , रोतेले , रौंतिया , कगवारिया , कठोतिया , मवासी , ठाकुरिया विंज दशेरा इस जनजाति के प्रमुख वर्ग है |

- कोल जनजाति के लोग गावँ या शहर के समीप अपना अलग मोहल्ला बनाकर रहते हैं जिसे टोला कहते हैं |
- मृत्युपरांत यह दो प्रकार से अंतिम संस्कार करते हैं जैसे किसी बीमारी से मरे व्यक्ति का दाह , जबकि सामान्य रूप में मरने पर दफनाया जाता है |

अर्थव्यवस्था – कोल मुख्यतः कृषि मजदूर है , लेकिन अब उद्योगों में भी कोल पर्याप्त संख्या में मजदूरी कर रहे है | कुछ पशुपालन में लगे है कई कोल शासकीय सेवा में लग गये है |

मध्य प्रदेश में जनजातियों का जनसंख्या अनुसार वितरण :-

- राज्य के सभी जिलों में जनजातियों का निवास है यद्यपि उनकी संख्या में अंतर है|
- मंडला छिंदवाडा ,डिंडोरी , शहडोल , उमरिया अनुपपुर , सिंगरौली , जबलपुर , बैतुल , सीधी , खंडवा , सिवनी में पर्याप्त तथा 14 जिलों में अल्पसंख्यक जनजातियाँ रहती हैं|
- मध्य प्रदेश के कुल 24 जिले आदिवासी जिलों में शामिल किये जाते है जिनके तहत 152132 वर्ग किमी. क्षेत्रफल है |
- सर्वाधिक जनजाति 1222814 धार में जबकि सर्वाधिक प्रतिशत (89%) अलीराजपुर में है |
- शेष 21 जिलों में जनजातियाँ बहुत मामूली संख्या में मिलती है |
- जनजातियों को दो पेटियों झाबुआ से सतपुड़ा तथा मैकल पर्वत से बघेलखंड तक भारी संकेन्द्रण है |

मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों का क्षेत्रानुसार वितरण :-

1. उत्तर पूर्वी क्षेत्र की जनजातियाँ :-

- शहडोल सीधी, जबलपुर, रीवा, सतना जिलों में कोल, माडिया, अगरिया, पनिका, खैरवार जनजाति के व्यक्ति रहते हैं | इसमें कोल प्रमुख जनजाति है, जो जबलपुर रीवा – सतना बेल्ट में है |

2. दक्षिणी क्षेत्र की जनजातियाँ :-

- इसके अंतर्गत मंडला, बालाघाट, सिवनी , छिंदवाडा, बैतुल, होशंगाबाद जिले आते हैं यहाँ भारिया, बैगा, गोंड कोरकू प्रमुख जनजातियाँ है |
- बैगा जनजाति विशेष रूप से मंडला में , भारिया छिंदवाडा में तथा कोरकू होशंगाबाद से लेकर पूर्वी निमाड़ तक मिलते हैं गोंड यहाँ की प्रमुख जनजाति है |

3. पश्चिमी क्षेत्र :-

- निमाड़ के चार जिले खंडवा , बुरहानपुर, बड़वानी, खरगोन तथा झाबुआ , अलीराजपुर, रतलाम, धार आदि में भील , भिलाला जनजातियाँ विशेष रूप से पायी जाती है झाबुआ , अलीराजपुर , धार में इनका पर्याप्त संकेंद्रण है |

मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजातियाँ :-

केंद्र सरकार ने राज्य की 3 जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया है
बैगा, सहरिया और भारिया |

विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित करने के आधार-

- कृषि में प्रौद्योगिकी का स्तर
- साक्षरता का न्यूनतम स्तर
- दुरस्थ पिछड़े क्षेत्रों में निवास
- स्थित या घटती जनसंख्या

मध्य प्रदेश की जनजातीय जनांकिकी 2011 –

- अनुसूचित जनजाति में साक्षरता दर – 50.6 % (सर्वाधिक साक्षर – परधान जनजाति)
- अनुसूचित जनजाति में लिंगानुपात – 984(सर्वाधिक बालाघाट 1050)
- अनुसूचित जनजाति में सर्वाधिक साक्षर जिला – बालाघाट
- अनुसूचित जनजाति में दशकीय वृद्धि दर 25.2% प्रतिशत है |
- सर्वाधिक एस. टी. जनसंख्या वाला जिला – धार (1222814)

सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिले :-

	जिला	जनसंख्या
1.	धार	1222814
2.	बड़वानी	962145
3.	झाबुआ	891818
4.	छिंदवाडा	769778
5.	बैतूल	730169

न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले –

	जिला	जनसंख्या
1.	भिंड	6131
2.	दतिया	15061
3.	मुरैना	17030
4.	मंदसौर	33092
5.	शाजापुर	37836

न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले :-

	जिला	प्रतिशत
1.	भिंड	0.4
2.	मुरैना	0.9

INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

प्रिय दोस्तों, अब तक हमारे नोट्स में से विभिन्न परीक्षाओं में आये हुए प्रश्नों के परिणाम देखने के लिए क्लिक करें - (Proof Video Link)

RAS PRE. 2021 - https://shorturl.at/qBJ18 (74 प्रश्न , 150 में से)

RAS Pre 2023 - https://shorturl.at/tGHRT (96 प्रश्न , 150 में से)

Rajasthan CET Gradu. Level - https://youtu.be/gPqDNlc6UR0

Rajasthan CET 12th Level - https://youtu.be/oCa-CoTFu4A

RPSC EO / RO - https://youtu.be/b9PKjl4nSxE

VDO PRE. - https://www.youtube.com/watch?v=gXdAk856W18&t=202s

Patwari - https://www.youtube.com/watch?v=X6mKGdtXyu4&t=2s

PTI 3rd grade - https://www.youtube.com/watch?v=iA_MemKKgEk&t=5s

SSC GD - 2021 - https://youtu.be/2gzzfJyt6vI

EXAM (परीक्षा)	DATE	हमारे नोट्स में से आये हुए प्रश्नों की संख्या
RAS PRE. 2021	27 अक्तूबर	74 प्रश्न आये
RAS Mains 2021	October 2021	52% प्रश्न आये
RAS Pre. 2023	01 अक्तूबर 2023	96 प्रश्न (150 मेंसे)
SSC GD 2021	16 नवम्बर	68 (100 में से)

whatsapp - https://wa.link/yqtoiy 1 web.- https://bit.ly/3AAJwpU

INFUSION NOTES WHEN ONLY THE BEST WILL DO FREE SAMPLE

SSC GD 2021	08 दिसम्बर	67 (100 में से)
RPSC EO/RO	14 मई (1st Shift)	95 (120 में से)
राजस्थान S.I. 2021	14 सितम्बर	119 (200 में से)
राजस्थान S.I. 2021	15 सितम्बर	126 (200 में से)
RAJASTHAN PATWARI 2021	23 अक्तूबर (1st शिफ्ट)	79 (150 में से)
RAJASTHAN PATWARI 2021	23 अक्तूबर (2nd शिफ्ट)	103 (150 में से)
RAJASTHAN PATWARI 2021	24 अक्तूबर (2nd शिफ्ट)	91 (150 में से)
RAJASTHAN VDO 2021	27 दिसंबर (1st शिफ्ट)	59 (100 में से)
RAJASTHAN VDO 2021	27 दिसंबर (2nd शिफ्ट)	61 (100 में से)
RAJASTHAN VDO 2021	28 दिसंबर (2nd शिफ्ट)	57 (100 में से)
U.P. SI 2021	14 नवम्बर 2021 1st शिफ्ट	91 (160 में से)
U.P. SI 2021	21नवम्बर2021 (1st शिफ्ट)	89 (160 में से)
Raj. CET Graduation level	07 January 2023 (1st शिफ्ट)	96 (150 में से)
Raj. CET 12th level	04 February 2023 (1st शिफ्ट)	98 (150 में से)

& Many More Exams like UPSC, SSC, Bank Etc.

INFUSION NOTES WHEN ONLY THE BEST WILL DO FREE SAMPLE

Our Selected Students

Approx. 137+ students selected in different exams. Some of them are given below -

Photo	Name	Exam	Roll no.	City
	Mohan Sharma S/O Kallu Ram	Railway Group - d	114195120370022	PratapNagar Jaipur
	Mahaveer singh	Reet Level- 1	1233893	Sardarpura Jodhpur
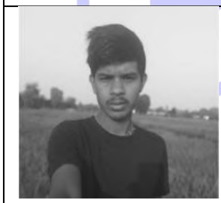	**Sonu Kumar Prajapati S/O Hammer shing prajapati**	SSC CHSL tier-1	2006018079	Teh.- Biramganj, Dis.- Raisen, MP
N.A	**Mahender Singh**	EO RO (81 Marks)	N.A.	teh nohar , dist Hanumangarh
	Lal singh	EO RO (88 Marks)	13373780	Hanumangarh
N.A	**Mangilal Siyag**	SSC MTS	N.A.	ramsar, bikaner

FREE SAMPLE
INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

	MONU S/O KAMTA PRASAD	SSC MTS	3009078841	kaushambi (UP)
	Mukesh ji	RAS Pre	1562775	newai tonk
	Govind Singh S/O Sajjan Singh	RAS	1698443	UDAIPUR
	Govinda Jangir	RAS	1231450	Hanumangarh
N.A	**Rohit sharma s/o shree Radhe Shyam sharma**	RAS	N.A.	Churu
	DEEPAK SINGH	RAS	N.A.	Sirsi Road , Panchyawala
N.A	**LUCKY SALIWAL s/o GOPALLAL SALIWAL**	RAS	N.A.	AKLERA , JHALAWAR
N.A	**Ramchandra Pediwal**	RAS	N.A.	diegana , Nagaur

FREE SAMPLE
INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

	Monika jangir	RAS	N.A.	jhunjhunu
	Mahaveer	RAS	1616428	village-gudaram singh, teshil-sojat
N.A	**OM PARKSH**	RAS	N.A.	Teshil-mundwa Dis- Nagaur
N.A	**Sikha Yadav**	High court LDC	N.A.	Dis- Bundi
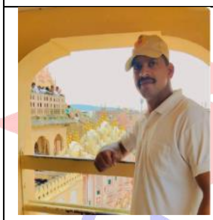	**Bhanu Pratap Patel s/o bansi lal patel**	Rac batalian	729141135	Dis.-Bhilwara
N.A	**mukesh kumar bairwa s/o ram avtar**	3rd grade reet level 1	1266657	JHUNJHUNU
N.A	**Rinku**	EO/RO (105 Marks)	N.A.	District: Baran
N.A.	**Rupnarayan Gurjar**	EO/RO (103 Marks)	N.A.	sojat road pali
	Govind	SSB	4612039613	jhalawad

FREE SAMPLE
INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

	Jagdish Jogi	EO/RO (84 Marks)	N.A.	tehsil bhinmal, jhalore.
	Vidhya dadhich	RAS Pre.	1158256	kota

And many others......

नोट्स खरीदने के लिए इन लिंक पर क्लिक करें

Whatsapp करें – https://wa.link/yqtoiy

Online order करें – https://bit.ly/3AAJwpU

Call करें - 9887809083